संलग्नक क्र.4

(1)

कार्यवाही विवरण

मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, द्वारा ग्राम–गेरवानी, तहसील व जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत स्टील प्लांट डी.आर.आई. किल्न (स्पंज ऑयरन 60,000 टन प्रतिवर्ष से 4,56,000 टन प्रतिवर्ष) इण्डक्शन फर्नेस के साथ सी.सी.एम. एवं एल.एफ. (एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स/हॉट चार्जिंग 97,000 टन प्रतिवर्ष से 4,27,000 टन प्रतिवर्ष), डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित पॉवर प्लांट 4.5 मेगावाट से 34.5 मेगावाट, नया 8,00,000 टन प्रतिवर्ष आई/ओ पैलेट प्लांट नया कोल गैसीफायर 30,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा के साथ, नई रोलिंग मिल (टी.एम.टी. बार/स्ट्रक्चरल स्टील) (85 प्रतिशत हॉट चार्जिंग के साथ हॉट बिलेट और शेष 15 प्रतिशत आर.एच.एफ. के माध्यम से) 4,12,500 टी.पी.ए. नया 3,700 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा कोल गैसीफायर के साथ, नया 4 गुणा 15 एम.व्ही.ए. फेरो एलायज (फेरो सिलिकॉन 46,600 टन प्रतिवर्ष/फेरो मैग्नीज 1,68,000 टन प्रतिवर्ष/सिलिको मैग्नीज 96,000 टी.पी.ए./फेरो क्रोम 1,00,000 टन प्रतिवर्ष), नया ब्रिकेटिंग प्लांट 670 किलोग्राम प्रतिघंटा और ईट निर्माण इकाई (60,000 ईट प्रतिदिन से 1,27,000 ईट/दिन) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 21 फरवरी 2024 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, द्वारा ग्राम–गेरवानी, तहसील व जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत स्टील प्लांट डी.आर.आई. किल्न (स्पंज ऑयरन 60,000 टन प्रतिवर्ष से 4,56,000 टन प्रतिवर्ष) इण्डक्शन फर्नेस के साथ सी.सी.एम. एवं एल.एफ. (एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स/हॉट चार्जिंग 97,000 टन प्रतिवर्ष से 4,27,000 टन प्रतिवर्ष), डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित पॉवर प्लांट 4.5 मेगावाट से 34.5 मेगावाट, नया 8,00,000 टन प्रतिवर्ष आई/ओ पैलेट प्लांट नया कोल गैसीफायर 30,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा के साथ, नई रोलिंग मिल (टी.एम.टी. बार/स्ट्रक्चरल स्टील) (85 प्रतिशत हॉट चार्जिंग के साथ हॉट बिलेट और शेष 15 प्रतिशत आर.एच.एफ. के माध्यम से) 4,12,500 टी.पी.ए. नया 3,700 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा कोल गैसीफायर के साथ, नया 4 गुणा 15 एम.व्ही.ए. फेरो एलायज (फेरो सिलिकॉन 46,600 टन प्रतिवर्ष/फेरो मैग्नीज 1,68,000 टन प्रतिवर्ष/सिलिको मैग्नीज 96,000 टी.पी.ए./फेरो क्रोम 1,00,000 टन प्रतिवर्ष), नया ब्रिकेटिंग प्लांट 670 किलोग्राम प्रतिघंटा और ईट निर्माण इकाई (60,000 ईट प्रतिदिन से 1,27,000 ईट/दिन) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 21.02.2024, दिन–बुधवार को प्रातः 11:00 बजे से स्थल–बंजारी मंदिर के समीप का मैदान, ग्राम–तराईमाल तहसील–घरघोड़ा जिला–रायगढ़ (छ.ग.)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के

प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम मैं राकेश केशरवानी, महाप्रबंधक, सालासार स्टील एण्ड पावर लिमिटेड की ओर से माननीय अपर कलेक्टर माननीय श्री राजीव पांडे जी, क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल श्री अंकुर साहू जी, एडिसनल एस.पी. महोदय, एस.डी.ओ.पी. महोदय एवं उपस्थित अन्य अधिकारीगण एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण और साथ ही उपस्थित जनता का मैं इस लोकसुनवाई में स्वागत करता हूँ। हमारे द्वारा ग्राम–गेरवानी, तहसील–रायगढ, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में स्टील उत्पादन इकाई का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सम्मती नवीनिकरण जारी किया गया है, जिसकी वैद्यता दिनाँक 30 अप्रेल 2026 तक है। वर्तमान में क्षमता विस्तार में कंपनी द्वारा नवीन आयरन ओर पैलेट इकाई उत्पादन क्षमता 8,00,000 टन प्रतिवर्ष, विद्यमान डी.आर.आई. किल्न में क्षमता विस्तार स्पंज आयरन उत्पादन क्षमता 60,000 टन प्रतिवर्ष से 4,56,000 टन प्रतिवर्ष, इण्डक्शन फर्नेस इकाई तथा इसके अनुकूल एल.आर.एफ. एवं सी.सी.एम. में क्षमता विस्तार एम.एस. इंगॉट बिलेट्स उत्पादन 97,000 टन प्रतिवर्ष से 4,27,000 टन प्रतिवर्ष, नया रोलिंग मिल में क्षमता 4,12,500 टन प्रतिवर्ष, पैलेट इकाई हेतु नवीन कोल गैसिफायर 30000 सामान्य घन मीटर प्रतिघण्टा तथा रोलिंग मिल हेतु नवीन कोल गैसिफायर 3700 सामान्य घन मीटर प्रतिघण्टा, नवीन फैरो एलॉज उत्पादन इकाई 4 गुणा 15 एम.व्ही.ए. फैरो सिलिकॉन 46600 टन प्रतिवर्ष या फैरो मैगनीज़ 168000 टन प्रतिवर्ष या सिलिको मैगनीज़ 96000 टन प्रतिवर्ष या फैरो क्रोम 100000 टन प्रतिवर्ष के उत्पादन हेतु, वेस्ट हीट रिकवरी आधारित विद्युत उत्पादन इकाई 4.5 मेगावॉट से 34.5 मेगावॉट, फ्लाय एश ब्रिक उत्पादन में क्षमता विस्तार 60000 ईंट प्रतिदिन से 127000 ईंट प्रतिदिन तथा नवीन ब्रिकेटिंग इकाई 670 कि.ग्रा. प्रतिघण्टा की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। विद्यमान संचालित इकाई हेतु वर्तमान में कम्पनी के पास 35.95 हेक्टेयर भूमि 88.79 एकड़ उपलब्ध है तथा प्रस्तावित क्षमता विस्तार वर्तमान उपलब्ध भूमि में ही किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार की कुल अनुमानित लागत 686.00 करोड़ रूपये है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के लिए वर्तमान पर्यावरण नियमानुसार हमारे द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। इसी तारतम्य में यह जनसुनवाई आयेजित की गई है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु हमारे द्वारा निम्नलिखित उपाय किया जाना प्रस्तावित है :– हमारे द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए संचालित वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर युक्त स्पंज आयरन उत्पादन इकाई में ई.एस.पी., इण्डक्शन फर्नेस इकाई में बैग फिल्टर की स्थापना की गई है। सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता पार्टीकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलिग्राम घन मीटर से कम के अनुरूप है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार में नवीन आयरन ओर पैलेट इकाई में ई.एस. पी., प्रस्तावित डी.आर.आई. किल्नों में ई.एस.पी., इण्डक्शन फर्नेस इकाई में बैग फिल्टर तथा फैरो एलॉज उत्पादन

इकाई में बैग फिल्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। सभी प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता पार्टीकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलिग्राम प्रतिघन मीटर से कम के अनुरूप होगी। जल प्रदूषण नियंत्रण के लिये निम्नलिख प्रस्तावित है :– विद्यमान संचालित इकाईयों के लिए 1930 किलो लीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। जिसे गेरवानी नाला से लिया जाता है। वर्तमान में जल संसाधन विभाग, छ.ग. शासन द्वारा कुल 3.65 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन एम.सी.एम. प्रतिवर्ष अनुमति दी गई है। प्रस्तावित परियोजना के लिए 2400 किलो लीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी जो की अनुमति प्राप्त जल राशि से ही पूर्ण की जावेगी। प्रस्तावित इकाईयों में क्लोज्ड–सर्किट कूलिंग सिस्टम को अपनाया जावेगा जिससे डी.आर.आई. किल्नों, एस.एम.एस. इकाई, फैरो एलॉयज़ एवं रोलिंग मिल इकाईयों में किसी प्रकार का दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। पावर प्लांट में एयर कूल्ड कंडेन्सर की स्थापना की जावेगी, जिससे जल खपत में कमी आयेगी। अतः दूषित जल के उत्सर्जन में भी कमी आयेगी। प्रस्तावित क्षमता विस्तार के बाद औद्योगिक दूषित जल की अनुमानित मात्रा 975 किलो लीटर प्रतिदिन होगी जिसका उपचार ई.टी.पी. में किया जावेगा। प्रस्तावित क्षमता विस्तार के बाद घरेलू दूषित जल की अनुमानित मात्रा 24.0 किलो लीटर प्रतिदिन होगी जिसका उपचार सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट में किया जावेगा। उपचार के बाद इसका उपयोग वृक्षारोपण, सिंचाई में किया जावेगा। शून्य निस्तारण स्थिति बनाई रखी जावेगी। जिससे आसपास के पर्यावरण पर दूषित जल का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। प्रस्तावित परिसर में 11. 86 हेक्टेयर भूमि पर हरित पट्टिका का विकास किया जा रहा है तथा इसे और सघन किया जाना प्रस्तावित है। विद्यमान पट्टिका की चौडाई न्युन्तम 15–20 मीटर है तथा परिसर में अब तक कुल 30000 नग वृक्षारोपित किये गये है जिसमें से लगभग 25606 नग पेड़ जीवित है। अगामी मानसून में 5000 नग वृक्षारोपण और किया जावेगा। हमारे द्वारा संचालित इकाई में आसपास के लोगों को योग्यतानुसार रोजगार दिया गया है तथा प्रस्तावित परियोजना में भी स्थानीय निवासियो को प्राथमिकता दी जावेगी। सामाजिक दायित्व के र्निवहन नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षरण मण्डल द्वारा सुझायें गये सभी उपायों को अपनाया जायेगा जिससें परियोजना द्वारा निकटस्थ क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे। अतं में प्रस्तावित परियोजना के लिये उपस्थित जनता से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद!

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है।

उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती / सुश्री / श्री –

1. लक्ष्मी भगत, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

2. पंचराम मालाकार, तराईमाल – मेरे को विगत 33 वर्ष लगभग हो रहा है पंचायत में कार्यरत हूँ। मैं सालासर कंपनी का समर्थन करता हूँ क्योंकि सालासर कंपनी और सिंघल कंपनी दोनो एक है। दोनो ने मिलकर विकास किया गया है जैसे कि हाईस्कूल में शौचालय निर्माण, शमशान घाट में बाउण्ड्रीवाल एवं हाई स्कूल में पेयजल, सी.सी. रोड, नाली निर्माण, लाईट स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप भी लगाया जाता है एवं हमारे गांव के जिनके मॉ–बाप मर जाते है उनके लिये शादी इनके द्वारा कन्यादान स्वयं करते है। जहां विकास होना है वहा थोड़ा बहुत विनाश होना ही है। तराईमाल में सालासर की ओर से सरस्वती स्कूल में बाउण्ड्रीवाल एवं भवन भी बनवाया गया है और एम्बुलेंस, सी.सी. रोड करवाया जायेगा। हमारे जो पढ़े–लिखे लड़के है उनके शिक्षा को देखते हुये उनको नौकरियां रखे और लोकल लोगो को रखे और उनका कंपनी चल रहा है और मांग करते है तो वो नौकरी में रखते भी है और हम लोग मॉ बंजारी के लिये भी सहयोग किये है। सबसे पहले यहा सिंघल आया और यहा प्लांट लगाया और विस्तार भी किया है और गांव में भी विकास किये है।

3. तोषराम गुप्ता, सराईपाली – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
4. मंगली बाई, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
5. शांतिबाई, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
6. रूकमणी, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
7. सविता – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
8. दयामती मांझी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
9. घुराई – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
10. सुंदरी, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
11. मीरावती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
12. कलावती, सराईपाली – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
13. कमला, सराईपाली – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
14. अनिता, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
15. गोमती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
16. राजकुंवर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
17. सेवती कुमारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
18. सोना राठिया, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
19. सरस्वती, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
20. सुदामा, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

21. सुशीला – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
22. रजनी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
23. सुनिता, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
24. रविना, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
25. लक्ष्मा बाई, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
26. सुलोचना, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
27. समारी बाई, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
28. रजनी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
29. पदमा, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
30. मंजू – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
31. दयाराम, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
32. राजीव कुमार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
33. कन्हैया – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
34. बुद्धदेव – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
35. तेहारू, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
36. पुनाउ राम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
37. मनोज – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
38. अमित – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
39. राजकिशोर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
40. आलोक – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
41. प्रकाश, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
42. रमा पटेल, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
43. लक्ष्मी राठिया, – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
44. अनिल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
45. सुंदरलाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
46. बाबूलाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
47. मनोज, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
48. दुष्यंत – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
49. खीरसागर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

(6)

50. सूरज, – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
51. सोनू – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
52. बसंत, सराईपाली – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
53. रामकुमार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
54. समारू, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
55. पंचराम, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
56. भुरी बाई – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
57. श्रीवती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
58. शोभा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
59. लक्ष्मी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
60. मंगलाई बाई – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
61. भुरी बाई – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
62. बरतकुंवर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
63. मेनका, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
64. बबीता, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
65. प्रतिमा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
66. लक्ष्मीता – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
67. नंदनी, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
68. कुंती बाई – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
69. पुष्पा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
70. निर्मला, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
71. ललीता, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
72. गिरजा बाई – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
73. केकती, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
74. संतोषी, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
75. ज्योति – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
76. लक्ष्मीना – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
77. सुनैना – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
78. अनुमती लकड़ा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

79. हसिना – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

80. राजमती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

81. मीरा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

82. मालती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

83. आनंदराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

84. बिहानु – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड़ का समर्थन है।

85. राधे, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

86. सिदार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

87. घुराउ राम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

88. महेत्तर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

89. सजलराम, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

90. संतोष – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

91. संतराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

92. बद्री – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

93. मोहन यादव – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

94. राजाराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

95. संतोष, सराईपाली – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

96. कैलाश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

97. मनोज कुमार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

98. अशोक कुमार, सराईपाली – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

99. संजय, सराईपाली – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

100. संपत लाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

101. बोधराम, भैसगढ़ी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है लेकिन शासन गरीब को सताने वाला है कही भी जाओं आपको घुस नहीं देना पड़ेगा तो काम नहीं होता। मेरा गाड़ी चोरी हो गया, मेरा तलाक करवा दिया। गरीब का कर्मचारी नक्सली है। मैं मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है। मैं किसी से नहीं डरता हूँ।

102. राजकुमारी सिदार, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

103. तेजकुमारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

104. नेल कुजुंर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

(95)

105. संदुरा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
106. राधिनी, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
107. प्रिति – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
108. श्यामबाई – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
109. संपत्ति – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
110. राधिका – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
111. राखी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
112. अनुराधा, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
113. सीमा बंजारा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
114. चंद्रीका, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
115. सोनिया, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
116. प्रेमसीला – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
117. गौरी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
118. दिव्या, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
119. विजयमती, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
120. सुचिता, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
121. सुलोचना, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
122. शोभा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
123. सुनिता, पत्थलगांव – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
124. सुमत बाई – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
125. सविता – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
126. जयंती, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
127. समीरा खेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
128. कुजुर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
129. बुधबाई – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
130. भारती, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
131. धनमती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
132. पनिरो – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

133. किरण शर्मा – मैं पहले भी बोली थी। प्रदूषण के बारे में जोर लागाईये तो आपकी कृपा होगी, सभी को रोजगार दिया जाये। हमारे यहा एक्सिडेंट होते रहता है। सभी प्लांट को बोलिये प्रदूषण पर रूकावट डालिये। महिलाओं को भी काम पर रखा जाये। मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

134. अमरीका, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

135. सविता, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

136. प्रयांशो – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

137. राधिका, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

138. गंगा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

139. वेदमती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

140. विनिता देवी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

141. मंगली – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

142. गौरी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

143. जयंती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

144. पिंकी, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

145. चंद्रकला – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

146. बेनीकुमारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

147. बादमती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

148. मंगलाई – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

149. साधना – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

150. राजकुमारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

151. मालती, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

152. तराईन बाई – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

153. महावीर सोनवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

154. दिगम्बर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

155. निर्मल पटेल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

156. राजेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

157. अनिक कुमार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

158. गंभीर सारथी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

159. शत्रुघन – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

(10)

160. झुलेंदर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
161. बुंदसिंह सिदार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
162. योगेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
163. पैतराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
164. दिनेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
165. महेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
166. भोला – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
167. आशिष – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
168. अनिल लकड़ा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
169. करण सोनी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
170. नवीन – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
171. सुंदर लोधा, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
172. संतोष – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
173. राजीव पाण्डेय – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
174. पतिराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
175. विरेन्द्र गुप्ता, रायगढ़ – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
176. सुखदेव – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
177. जमुना यादव – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
178. मंगलवती, सराईपाली – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
179. रूकमणी, सराईपाली – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
180. कुंदबाई – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
181. कपिल चौहान – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
182. योगेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
183. प्रेमसाय – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
184. सुनील मिंज, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
185. कोपीलाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
186. राधे नांग, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
187. रंजीत, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
188. अक्षत सिदार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

(11)

189. गुलाबचंद – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

190. रोमन खलखो, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

191. परमेश्वर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

192. तिरथ – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

193. परमेश्वर, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

194. भैसराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

195. परमेश्वर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

196. केशव प्रसाद – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

197. संजू, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

198. ननकी राम, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

199. भगवान, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

200. राजा लाला, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

201. नारायण, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

202. राजीव, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

203. राधा गुप्ता – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

204. रति गुप्ता – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

205. शांति – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

206. सुमति – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

207. पुनिमती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

208. जमुना – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

209. शारदा कुमारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

210. फुलेश्वरी, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

211. सावित्री, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

212. सुमित्रा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

213. जयंति – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

214. लीलावती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

215. भागवती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

216. रसमति – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

217. सुनिता, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

(12)

218. मांगरा सिदार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

219. गायत्री, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

220. शौहद्रा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

221. सुलोचना, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉ५१ लिमिटेड का समर्थन है।

222. चेतकुंवर मालाकार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

223. हरिप्रिया, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

224. भरतराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

225. मुबारक खान – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

226. लक्की सिदार, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

227. आत्माराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

228. तरूण मालाकार, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है और कंपनी के जितने भी अधिकारी है डस्ट ज्यादा हो रहा है थोड़ा ध्यान दे।

229. तरूण मालाकार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

230. शोभा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

231. छोटुराम, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

232. सतीश, जशपुर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

233. उसतराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

234. मालती, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

235. अंजू मालाकार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है। हमारे यहा डस्ट को ध्यान दे।

236. कमला मालाकार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

237. कमला राणा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

238. राजेश्वरी, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

239. त्रिवेणी, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

240. कविता, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

241. सुमित्रा, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

242. दुरपति सिदार, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

243. गुड्डी, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

244. रोमा पैंकरा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

245. सुनिती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

Asalu

(13)

246. श्यामबाई – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

247. नेहा बाई – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

248. पुष्पा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

249. सविता – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

250. उरमिला – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

251. कविता नायडु – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

252. सोनी श्रीवास्तव – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

253. मीरा, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

254. ममता – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

255. पूजा, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

256. सविता – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

257. पूजा भगत, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है। यहा जितने भी कंपनियां है वो रोजगार दे रही है और अन्य कई काम करवाती है। कंपनियां मजदुरो से चलती है। मशीनों को चलाने वाले भी मजदुर है और जो भी मुनाफा होता है वो मजदुरों को क्यों नहीं देती है। मालिक काम करने नहीं आते, मजदूर आते है। मजदूर उस सैलरी से गुजारा नहीं कर सकता, इस पर विचार करें।

258. कमला देवी, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

259. ज्योंति, कोरबा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

260. निलम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

261. सकुंतला, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

262. कुशुम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

263. रिंकु देवी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

264. सुखसाय, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

265. राजकुमार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

266. कुंजराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

267. संजय, सराईपाली – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

268. बल्लू – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

269. गौरांग राणा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

270. दिलीप सिंह – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

271. भुनेश्वर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

(14)

272. गजेन्द्र – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

273. पुनीराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

274. धिरज – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

275. सनातन – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

276. राजेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

277. भरतलाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

278. राकेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

279. पवन – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

280. दीपक – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

281. विजय – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

282. विनोद – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

283. सुनील – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

284. पारस चौहान – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

285. संतराम, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

286. दीपक – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

287. जयप्रकाश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

288. अजय – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

289. संजय – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

290. गोबिंदा, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

291. राकेश, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

292. विनय, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

293. कृष्णकुमार, सराईपाली – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

294. अभिमन्यु – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

295. प्रकाश, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

296. समारू – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

297. राजकुमार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

298. देवनारायण – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

299. संजय यादव – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

300. अनिल कुमार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

301. छोटू – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
302. रोहित कुमार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
303. अन्न सिदार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
304. बुद्धुराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
305. सहनुराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
306. बिहारीलाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
307. अजय नाग – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
308. आनंद – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
309. महेश्वर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
310. हासिद, कापु – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
311. दीपचंद सोनी, जांजगीर–चांपा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
312. नवल साय – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
313. शत्रुघन, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
314. शिवनाथ – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
315. लक्ष्मीप्रसाद – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
316. कैलाश, सराईपाली – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
317. हेमंत – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
318. अक्षय – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
319. अभिनाश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
320. लोचन सिदार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
321. लालसिंह, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
322. उमेश कुमार, तुमीडीह – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
323. शिवचरण, गौरमुड़ी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
324. शशीभुषण – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
325. काशीराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
326. ओमप्रकाश, तुमीडीह – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
327. जगतराम, तुमीडीह – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
328. टीकाराम, तुमीडीह – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
329. गेजानंदन – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

(16)

330. मोहम्मद – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

331. कलाराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

332. ईश्वर किसान – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

333. गुलाबमती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

334. मालती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

335. लक्ष्मीन – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

336. कमला सिंह, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

337. पूजा, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

338. मंगली, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

339. पूर्णिमा, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

340. अनिता, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

341. रामवती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

342. सुनिता, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

343. तेहारिन – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

344. उर्मिला – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

345. गीता – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

346. संगीता, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

347. सपना, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

348. सुमित्रा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

349. कुंती, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

350. साधमती, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

351. पुनिमति – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

352. बिमलेश्वरी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

353. बिन्नी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

354. चांदनी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

355. किरण – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

356. दूर्गा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

357. दिव्या – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

358. गायत्री – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

359. लीलावती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

360. संतोषी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

361. मोहरमती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

362. यशोदा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

363. लक्ष्मीन – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

364. गदावनी यादव – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

365. निर्मल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

366. हेमलाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

367. सुनील कुमार, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

368. सुजीत – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

369. सुनील, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

370. प्रकाश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

371. सेतकुमार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

372. नारायण, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

373. दारासिंह – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

374. कुसामुड़ा, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

375. नवनीत, जांजगीर–चांपा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

376. कोमल साहू, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

377. उपेन्द्र भगत, तराईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

378. भागीरथी, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

379. संदीप कुमार भाय, सराईपाली – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

380. रवि, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

381. यश, गेरवानी – हमारीं मांग रखी गई थी कि सभी को काम दिया जाये और गेरवानी में खेल मैदान दिया जाये, जिम का सामान दिया जाये, रोड में पानी छिड़काव किया जाये वो सभी काम कर रही है सालासर इसलिये मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

382. धनेश्वर दास – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

383. सूरज सिंह, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

384. सत्यम, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

385. चंदन यादव, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

(18)

386. रोहन – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

387. आनंद दास – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

388. नितिश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

389. सोहन दास, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

390. साहिल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

391. खीरदास – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

392. हरि सिदार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

393. गितेश, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

394. मोहित, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

395. नल यादव – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

396. अनुराग – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

397. पंकज – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

398. उमेश कुमार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

399. कवि चौहान – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

400. जीवन गिरी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

401. सविता रथ, जन चेतना, रायगढ़ – आदरणीय पीठासीन अधिकारी महोदय, जिला पर्यावरण अधिकारी महोदय, जिला प्रशासन, हमारे युवा साथी, किसान, प्रभावित महिलाये सब का अभिवादन करते हुये पर्यावरणीय मुद्दे पर मेरा रिसर्च है और इस अध्ययन को आज की इस लोकसुनवाई में मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, गेरवानी का जनसुनवाई को निम्न बिन्दुओं को रखने आई हूँ। ये प्रस्तावित विस्तार के हिस्से के रूप में जो डी.आर.आई. किल्न स्पंज ऑयरन को 6000 टन से बढ़ाकर 4,56,000 टी. पी.ए. तक इण्डक्शन फर्नेस के साथ जो इसको बढ़ाया जा रहा है। इस जनसुनवाई मे और आपके समक्ष मैं इसका तकनिकी रूप से विरोध करती हूँ। इसलिये विरोध करती हूँ कि इस संपूर्ण क्षेत्र में जिस तरीके से औद्योगिकीकरण के कारण काफी बड़ी मात्रा में जैव विविधता को प्रभावित किया है, काफी मात्रा में वायु प्रदूषण की मात्रा को बढ़ाया गया है और पुरे देश के अंदर चौथा स्थान इस क्षेत्र का रहा है प्रदूषण के कारण और अन्य किसी भी नई कंपनी का यहा स्थापना करना और ना ही विस्तार देने के बाद यहा की पर्यावरणीय जैव विविधताये को सीधा नष्ट करती है। इस पुरे जनसुनवाई को शायद इस लिये नहीं होना चाहिये था, प्रशासनिक जिद है आप लोक कराते रहे है और राजस्व का एक बड़ा हिस्से का खर्च जो है आप सरकार को, जिले को और राज्य को ऐसे जनसुनवाई को आप आयोजन करवा रहे है। बार–बार एक ही विषय पर आपसे बात रखना और उसी विषय, उसी क्षेत्र का, उसी परिस्थितियों का वर्णन करना शायद

बेहद मानसिक रूप से तनाव भरा रहता है कि बार–बार हम अपनी बात रखते है आपके समक्ष और कोई मजबुत कार्यवाही आपके द्वारा नहीं होता है। पूर्व की जनसुनवाई में हमने काफी मजबुती के साथ तकनिकी बिन्दुओं को रखा और इस पुरे क्षेत्र की जो जनसुनवाईयां होती है वो वन, पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14 सितम्बर 2006 के तहत जो नियम का उल्लंघन है, सही समय में जनसुनवाई जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाना और राज्य द्वारा एक टीम का गठन करके जनसुनवाई को जो कराने की जो नीति है तो कानुन का उल्लंघन 45 दिनों के अंदर ये जनसुनवाई हो जानी चाहिये तो ये पराकास्ठा है। ये पुरा क्षेत्र अनुसूची पेशा 5 के तहत आता है जहां ग्रामसभा की महत्ता है और 8 नवम्बर 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य का नियम बनाया गया, उस नियम को बनाने की मैं हिस्सा रही हूँ। मुझे नहीं लगता की आप लोग इन चीजों को पढ़कर आये होंगे और केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14 सितम्बर 2006 के नियमों का उल्लंघन, ये जनसुनवाई है इसलिये इस जनसुनवाई को हमारी तरफ से हमेशा यही मांग रहेगा कि ऐसी जनसुनवाईयां औचित्यहिन समय राज्य प्रशासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों का बहुमूल्य समय और आपका समय को खराब करने का कोई औचित्य नहीं है ऐसी जनसुनवाईयों को नहीं कराना ही बेहतर है। मेसर्स सालासर स्टील प्राईवेट लिमिटेड़ में जो विस्तार हो रहा है ग्रामपंचायत क्षेत्र में कई बीमारियों का अलग–अलग लोगों के बीच में, अलग–अलग समय में रिसर्च के दौरान, अध्ययनों के दौरान नई बीमारियों का निकला है, 14 लोग इस क्षेत्र में सिलिकोसिस बीमारे से मरे है और अन्य अगर जांच किया जाये तो कैंसर और अन्य जल जनित रोगो का यहा पर काफी मात्रा में बीमारी दिख रही है इसमें केवल शारीरिक लक्षण ही नहीं है मानसिक भी कई किसम के विचलन इस क्षेत्र में पाया गया है। यह आप जो जनसुनवाई का विस्तार करा रहे है इसमें व्यापक पैमाने पर केलो नदी प्रभावित होगी और औद्योगिक कचरे से भरा हुआ केलो बांध परियोजना वो सीधा असर होगा इसके साथ ही 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये पूर्ण क्षेत्र वायु प्रदूषण से भरा हुआ क्षेत्र है में स्कूल है प्रायमरी, माध्यमिक, उच्च स्कूल के साथ जिंदल कालेज भी है इसके साथ बगल में पूंजीपथरा थाना है जहां सरकारी संस्थाने है इसके बाद जो पूर्व की कंपनियां है उनके द्वारा एक ट्रामा सेंटर भी बनाया गया है जहां हास्पिटल है ये सीधे प्रभावित होती है ऐसे परियोजनओं से और ऐसे ही विस्तार से इन परियोजनाओं से तो ऐसे जनसुनवाईयों को ना ही कराये तो बेहतर है। मेरा निवेदन पहले जनसुनवाई में था यहां का क्षेत्र वनोंपजो से भरा क्षेत्र है यहा पर चार, महुआं, तेंदु के साथ यहा वन्य जीव का विचरण केन्द्र है। आपके 3 किलोमीटर के रेडियस में जहां ये जनसुनवाई हो रही है यहा हाथी सामारूमा में, पड़कीपहली में, गोदगोदा जंगल में, भैसगड़ी, बड़गांव, बरलिया, दनौट ये पुरा क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है इसके अलावा अन्य जंगली जीव है, कई किसम की चिड़िया है और उनके कई किसम के भोज्य पदार्थ है जिसभें वाईल्ड मशरुम है, कई कंदमुल है जो सीधे प्रभावित इस जनसुनवाई में होगा। इस जनसुनवाई की सूचना मुनादी के द्वारा कराई गई थी ये कंपनी बधाई के पात्र है कि जनसुनवाई

(20)

की सूचना दिया और उस सूचना को सुनने के बाद मैं यहा आई हूँ। ये जितनी भी तकनिकी चीजे है चाहे हॉट चार्जिंग के साथ हॉट बिलेट और शेष 15 प्रतिशत आर.एम.एफ. के माध्यम से ये स्ट्रक्चर स्टील, टी.एम.टी. बार ये तमाम चीजे फेरो सिलिकॉन, सिलिको मैग्नीज, फेरो क्रोम ये तमाम चीजे आप जानते है इसमें कितने किसम के हैवी वेट मटेरियल इसमें शामिल है। इसमें जो प्रभावित है उसमें आंगनबाड़ी केन्द्र, फ्लाई ऐश का बेहतर प्रबंधन ना होना, 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी आंगनबाड़ी केन्द्र है, गर्भवती, शिशुवती, जितने भी बस्ती है इस पुरे क्षेत्र में 50 से अधिक जिंदल औद्योगिक पार्क में पहले से अन्य उद्योग स्थापित है जिसका विस्तार आपने इसी जगह पर जनसुनवाई किया है। हमारे जो युवा बच्चे है उनके स्वास्थ्य संबंधित कोई जांच नहीं है, ना इसमें टोपोसीट लगा है किसी तकनिकी रूप से है नहीं इस जनसुनवाई में। यहां के जो बेरोजगार भाई है और भाईयों के साथ जो बेरोजगार बहुये है उनके लिये कोई मजबुत स्थाई रोजगार का व्यवस्था आज तक नहीं हुआ है, हर जनसुनवाई में आकर आपसे लोग रोजगार मांगते है, आपको गंभीरता से देखना चाहिये कि गैर कृषि, गौर सामाजिक चीजों में जमीने, जल, जंगल जो हमारे पूर्व के जीवन यापन के मजबुत रही है वो आप ले लेते है किसी ना किसी प्रकार से कानुनी प्रक्रिया के माध्यम से भोले–भाले, सीधे–साधे आदिवासी क्षेत्र के लोगो को जब आप बेहतर जीवन जीने के सपने दीखाते है उस सपनो को साकार करने के लिये जो जंगल है जो पुरे क्षेत्र का पेट पालता है, खेत है जो पुरे परिवार को पालता है, नदी है केलो जो जीवन दायिनी के रूप में माना जाता है, खाद्य श्रृंखला जुड़ी हुई है, खाद्य सुरक्षा जुड़ी हुई है उनका बिना अध्ययन किये जनसुनवाई को करा लेना दुर्भाग्यपुर्ण लगता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि इसी बात को कई बार बोल चुकि हूँ। जनसुनवाई में इतना बड़ा जिला प्रशासन का जो आयोजन है इस जिले में जो आयोजन होता है उसका संपूर्ण खर्च जिस कंपनी की जनसुनवाई है उस कंपनी के ऊपर ही आना चाहिये ना की हमारे टेक्स का, चाहे हमारे जिला के कलेक्टर आये हो उनके दैनिक व्यय से लेकर टी.ए., डी.ए. जो आने–जाने का खर्च है एक दिन का क्योंकि पुलिस हमारी है, जिला प्रशासन हमारा है, राजस्व हमारा है, पर्यावरण अधिकारी हमारा है, किसी कंपनी का निजी व्यक्ति नहीं है, निजी संस्थाओं के उपयोग के लिये नहीं है तो ऐसे जनसुनवाईयों में पद अनुसार एक दिन की दैनिक आय का एक फंड बनाकर उनसे लिया जाये और जनता का अतिरिक्त बोझ ऐसे जनसुनवाई को कराकर नहीं करनी चाहिये वो बच जाते है हमको इतना फोर्स चाहिये, हमको इतने सरकारी अधिकारी चाहिये, स्वास्थ्य से चाहिये, राजस्व से चाहिये, फायरब्रिगेड चाहिये, एंबुलेंस चाहिये, टेंट चाहिये ये तमाम बिल वाउचरों में अगर आपके द्वारा कड़ाई के साथ इसके पूर्व के जिला कलेक्टर चाहे मुकेश साहब हो, अमित साहब हो, श्याम धावड़े साहब हो, एस.पी. राहूल शर्मा हो एक फंड करके ऐसे जनसुनवाईयों में शामिल होने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी पद अनुसार एक फंड एक दिन का जाना चाहिये, इसमें भी महिलाओं को डेड़ गुना ज्यादा अधिक क्योंकि ये काम ज़िला प्रशासन का नहीं है, जो विरोध करते है आपके

दुशमन नहीं है वो तकनिकी रूप से आपको बताते है कि समाज को क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर्यावरण को क्या प्रभाव पड़ता है। यहां पर हम सी.एस.आर. जिला खनिज न्यास निधी जैसे मुद्दो की बात नहीं रख रहे है इसलिये नहीं रख रहे है कि जिस दिन अंतिम जनसुनवाई कम्प्लिट होगा सारे पेपर को लेकर एन.जी.टी. में हम केस लगाने जा रहे है। हम लिखित में आपको शिकायत कर रहे है। ऐसे जनसुनवाई को आप अनुमति ना दे क्योंकि ये पेशा ग्रामसभा के तहत जिसमें 50 प्रतिशत महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिये थी वो चीज नहीं है। इससे पहले श्री सिन्हा साहब ने जनसुनवाई को अपने प्रशासनिक शक्ति से बारिकी से जांच करके उन्होने रोका था कि आज ये जनसुनवाई करवा रहे है ये काफी निराशाजनक है मैं लिखित और मौखिक रूप से ऐसे जनसुनवाईयों का विरोध करती हूँ।

402. खीरसागर मालाकार, तराईमाल – आज हमारे क्षेत्रीय जनों के बीच में मेसर्स सालासार स्टील अपने 11 यूनिट के विस्तार के लिये पर्यावरण सहमति के लिये जनसुनवाई करावा रही है। इस जनसुनवाई में गैसीफायर, डी.आर.आई. किल्न 100 टी.पी.डी. की दो यूनिट, सी.सी.एम. इण्डक्शन फर्नेस, रोलिंग मिल के लिये गैसीफायर, फेरो एलायज, कोल वॉशरी, ब्रिक्स प्लांट, पॉवर प्लांट डब्ल्यू.एच.आर.बी. एवं एफ.बी.सी. बेस्ड ये जो प्लांट स्थापित होगा 87.5 हेक्टेयर में होगा जिसके विस्तार के लिये क्षेत्रिय लोगो के बीच आई है पर्यावरणीय सहमति के लिये। परियेजना का महत्व रहेगा जो 11 यूनिट अलग–अलग लगेंगे उसकी महत्ता रहेंगी स्टील मानव जाति के लिये सबसे महत्वूपर्ण उत्पाद माना गया है इससे देश का आर्थिक निर्माण होता है। यह विद्युत का निर्माण करेंगी जो समस्त आवश्यकतओं की पूर्ति करती है जो देश के आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करतें हैं। उद्योग के लगने से हमारे मानव जीवन में क्या क्या लाभ होगा। इसमें सीएआर मद के तहत् विकास संबंधी कार्य कराई जायेंगी तथा स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इनके द्वारा नई उपकरण लगेंगे रॉ मटेरियल के परिवहन से सड़को का उपयोग किय जायेगा जिसमें लगभग 330 ट्रकें चलेंगी इससे सबका व्यवसाय रोजगार चलेगा जिसके जीवन स्तर में सुधार होगा। सालासार उद्योग सिंघल उद्योग का एक हिस्सा है। तराईमाल गावं में उनके द्वारा कई प्रकार के कार्य करायें हैं। उद्योग हमारे धन्यवाद का पात्र स्कूल में शौचालय का निर्माण कराया गया हैं। पेयजल की सुविधा की गई थी। श्मशान में 03 किलोमीटर की दिवार का निर्माण कराया गया हैं तथा उद्योग के द्वारा पानी टंकी की व्यवस्था की गई हे। विभिन गलियों को निर्माण कराया गया हैं गांव के विद्युत को सुधार हेतु मदद करतें हैं उद्योग समूह के द्वारा स्कूलो में प्रसाद की व्यवस्था किय जाता हैं तथा वृक्षारोपण का कार्य कराती है। मंदिरों तथा शासकीय भवनों को जिर्णोद्धार किया जाता हैं तथा निर्धन बेटियों के शादी के लिये सहायता की जाती है तथा मुफ्त में लोगों का उपचार कराया जाता है। कोरोनाकाल में विशेष सहायोग किय गया था। उद्योग को विशेष धन्यवाद। तराईमाल के जितने भी हमारे साथी है ये सब उद्योग का धन्यवाद करने आये हैं। जो जितने भी कुशल युवक है उनका परीक्षण कर नियमित रोजगार में रखें। गांव

(22)

में एक सामुदायिक भवन में जीम का सामान उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था करने की उद्योग से मांग करते हैं। क्षेत्रीय लोग उद्योग को संभाले जितने भी क्षेत्रीय उद्योग हैं सभी क्षेत्रीय लोगों के कौशल विकास के लिये कार्य करें यही मेरी आशा है। मैं इसका समर्थन करता हूं। उद्योग को क्षमता विस्तार किये जाने की अनुमति देने की कृपा करें प्रशासन से अनुरोध करता हूं।

403. कौशल्या – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
404. कस्तुरी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
405. तिजमती – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
406. सुशमिता – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
407. बेहराबाइ – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
408. तमन्ना – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
409. पुष्पा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
410. उर्मिला – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
411. पूजा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
412. सुमित्रा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
413. संजिता – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
414. सोनकुवर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
415. मुकेनीबाई – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
416. सुशीला – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
417. उमा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
418. गांगा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
419. प्रेमबाइ – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
420. हीरा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
421. गंगा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
422. अल्का – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
423. मीनादेवी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
424. दिलीप – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
425. रोजेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
426. पुनिराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
427. बंजारे – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

428. लक्ष्मी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

429. मोहन – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

430. रामलाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

431. गणेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

432. दीपक – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

433. अनिल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

434. अनिल, गेरवनी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

435. शिवचरण – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

436. हरि – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

437. मुन्ना – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

438. अक्षय कुमार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

439. निलांबर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

440. लखन – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

441. सुखला – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

442. सुंदर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

443. गंगा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

444. सुरेन्द्र – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

445. आशाबाई – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

446. जमुनाबाई – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

447. तमन्ना, गेरवानी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

448. कुमारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

449. मंगल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

450. नेतराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

451. बिरबल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

452. हृदय, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

453. आनंद – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

454. भगत – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

455. घनश्याम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

456. गंगाराम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

24

457. बंधनसिंह – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

458. शिवलाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

459. अतुल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

460. प्रकाश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

461. जयप्रकाश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

462. नवीन – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

463. अदिति – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

464. शिवा, देलारी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

465. चंद्रशेन,तराईमा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है। जो विकास हो रहा हैउद्योग के द्वारा हो रहा है। उसका धन्यवाद करता हूं। मैं सिंघल उद्योग में कार्य कर रहा हूं।

466. गोलू – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

467. महारथी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

468. लोकनाथ – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

469. सोनू – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

470. टार्जन – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

471. मुकेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

472. महिन्दर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

473. छोटू – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

474. अर्जुन – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

475. शिवकुमर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

476. अजय – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

477. कोनाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

478. रूद्रप्रताप – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

479. लक्की सिदार – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

480. सिकंदर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

481. राकेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

482. राजीव, तरीईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

483. महंत – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

484. राज – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

485. अकबर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
486. रिषभ – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
487. मुकेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
488. अमित – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
489. जयप्रकाश, तरइमल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
490. दिनेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
491. नरेन्द्र – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
492. नासिर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
493. गणेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
494. यशेन – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
495. नवल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
496. विवेक – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
497. राहुल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
498. पवन – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
499. प्रकाश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
500. राजू – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
501. अनीश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
502. अनिल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
503. आयुष – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
504. रीशि – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
505. विकास – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
506. उत्सव – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
507. ईश्वर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
508. विक्रम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
509. राहुल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
510. दिपांशु – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
511. राज– मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
512. सोनू – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
513. विशाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

Asalu

(26)

514. रितेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

515. पुष्पक – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

516. विकास – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

517. परमेश्वर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

518. शशी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

519. मिलाप – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

520. नितेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

521. साश्वत – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

522. शुभम – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

523. अरूण – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

524. राकेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

525. हर्ष, तरईमाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

526. रोशन – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

527. सुशांत – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

528. आशीष – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

529. अभिमन्यु – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

530. ईश्वर – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

531. कृणा – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

532. नीरज – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

533. अभिषेक – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

534. खीलेश – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

535. राजीव – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

536. संजय – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

537. प्रकाश– मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

538. कन्हैयालाल – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

539. विनोद, गेरवानी – स्थिति दो दिन के अंदर कितनी अच्छी सुधर गई? सड़कों की आवश्यकता नहीं होगी स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, वह सालासार सुधार देगी प्रदूषण नहीं उठती है। वह पॉन्डस का ड्रीम फ्लावर जो नदियों के पास नालों के पास तालाबों के पास सालासार एवं सिघल स्टील ने रखें हैं। जो व्यक्ति नहायेगा और पावडर लगा लेगा। उद्योग के द्वारा जीम की सुविधा की जा रही है? उद्योग के द्वारा सबकी

पूर्ति कर देगा? अधिकारी महोदय आपके आने की आवश्यकता नहीं? सालासर एवं सिंघल स्टील यहां चिकित्सालय खोल देगा। यहां दो दिन में कितना सुधार हो गया। आपके द्वारा काई जवाब नहीं दिया जायेगा? रोड में दुर्घटना नहीं होता है हम सिधा जाते हैं और जीएम बन जाते हैं और उनके कुर्सी में बैठ जाते हैं? आपने पद्मभूषण के हकदार हैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा की आपको अवार्ड दिया जाये तथा नोबल पुरस्कार के लिये अनुमोदन करूंगा जो पर्यावरण क्षेत्र के लिये करूंगा? इतनी अच्छी स्थिति सुधर गई इस क्षेत्र में दो दिन के अंदर अब स्कूल भी आप संचालित नहीं करिये क्यों के सालासर स्टील कर देगा। इतना अच्छा रोड बनवाया सालासर स्टील ने यहां एरोप्लेन की व्यवस्था कर दिया है उद्योग के द्वारा। जल की आवश्यकता नही पडगी सालासर स्टील को इंद्रदेव को पुकारेगें और जल की वर्षा हो जायेगा। पुलिस प्रशासन की भी आवश्यकता नहीं है? सालासर स्टील वाले ही प्रशासन को चला लेंगें केलो डेम को भी तोड़ दिया जायेगा सालासर स्टील के द्वारा व्यवस्था कर दी जायेगी? संचित जल का उपयोग बादल से वर्षा होगी उसका उपयेाग कर लेंगें आर्थिक स्थिति भी सुधर जायेगी जीएम बन गये हैं। विद्यार्थी जीवन हमें जीना ही नहीं हैं सालासर ही हमारी सारी व्यवस्था कर देगी? गीत के माध्यम से संगीत की माध्यम से हमने अपनी बात रख देगी? आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सभी स्थति सुधार देगी सालासर स्टील ग्राम सभा एवं राज्य सभा किसी की भी आवश्यकता नहीं है क्येांकि सब सुधर गया हैं तथा रोड का निर्माण भी सालासार स्टील के द्वारा काम करा दिया गया है? जब गावं में जिम खुल जायेगा तथा सबको रोजगार मिल जायेगा? सबकी स्थिति सुधरं जायेगा? धन्यवाद!

540. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना मंच – सम्मानीय पीठासीन अधिकारी, पर्यावरण अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हम सब की सुरक्षा के लिये कई दिन से मेहनत करने वाले समस्त पुलिस के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की जो जनसुनवाई का आयोजन कराया जा रहा है वह 14 सितम्बर 2006 केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के मापदण्डों के अनुरूप नहीं है। 14 सितम्बर 2066 की भारत सरकार की पर्यावरणीय अधिसूचना कहती है कि आवेदन के 45 दिवस के अंदर राज्य सरकार जनसुनवाई का आयोजन करेगा और किन्ही कारण अगर राज्य सरकार 45 दिवस के अंदर जनसुनवाई का आयोजन नहीं कर पाता उन परिस्थितियों के केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय एक समिति का गठन करेगा और समिति जनसुनवाई का आयोजन करवायेगी। भारत सरकार का जो गजट है पेज नंबर 32 पैराग्राफ नंबर 2 में सीधे–सीधे निर्देश स्पष्ट तौर पर सरकार को दिये गये है। ई.आई.ए. बनाने वाले हमारे मित्र है और हम जब जनसुनवाई से बाहर जाते है तो कई चीजों पर बात भी करते है। यहा की जो स्थिति है, कल रायगढ़ जिले के पूर्व कलेक्टर से मेरी बात हो रही थी जनसुनवाईयों को लेकर उन्होने कहा रायगढ़ का पर्यावरणीय जो स्थिति है उनको देखते हुये जब तक मैं रायगढ़ में था तब तक कम से कम मैने जनसुनवाई की अनुमति नहीं दी और कैसे लोग जियेंगे, कैसे लोग

28

यहा रहेंगे। अगर हम ई.आई.ए. के बात को देखे कि इन 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो ग्रामपंचायते है वहा की आंगनबाड़ी को अगर देखे, प्रायमरी स्कूल को देखे, मिडिल स्कूल को देख, यहा के जे.आई.टी. कॉलेज को देखे यहा के पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है। यहा 2010 में एक केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय की टीम आई थी और इस क्षेत्र में जो अध्ययन किया तो देखा की जी.आई.टी. कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो है उनको माईग्रेसन की बीमारी हो रही है और उसमें उन्होने निर्देश दिया की इस क्षेत्र में उद्योग बंद कर दिया जाये या कि इस क्षेत्र में कॉलेज को बंद कर दिया जाये ये दो के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। ये 2010 की बात है आज देखे तो 2010 और 2023 में 15 से 20 गुना ज्यादा यहा उद्योग स्थापित हो चुके है और जब हम पर्यावरणीय अध्ययन की बात करते है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तो पता नहीं वो कौन–कौन सी मशीने 3–3 महिने के लिये लगाई जाती है कि यहा के पर्यावरण के मापदण्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते है वो सभी ई. आई.ए. में जो 15 साल पहले जितना था यहा पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण उतना प्रदूषण आज 15 साल बाद 2023 में उतना ही बता रहा है। पर्यावरण विभाग की जानकारी के मुताबिक बात करे तो रायगढ़ जिले में लगभग 1,73,000 मै.टन फ्लाई ऐश आपके दस्तावेज के अनुसार जो कंपनिया जानकारी दे रही है वो निकलता है। इन उद्योगो का जितना विस्तार हो रहा है उससे निकलने वाले फ्लाई ऐश का निस्तारण के लिये क्या कोई जगह है और वो जगह है तो इन 10 सालो में पर्यावरण के फ्लाई ऐश का निस्तारण है आज तक वो निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है। कंपनियों के पर्यावरणीय मापदण्ड है कि कुल जमीन का 33 प्रतिशत भू–भाग में आपको हरित पट्टिका बनाना है परन्तु रायगढ़ जिले में लगभग 173 छोटे–बड़े उद्योग है जहां का हम लोगो ने अध्ययन किया एक भी उद्योग ने अब तक 33 प्रतिशत भू–भाग में परित पट्टिका नही बनाया है। इन निर्देशो का जो टी.ओ.आर. होता है जो पर्यावरण आपको स्वीकृति दी जाती है वो स्वीकृति का पालन कराने की जिम्मेदारी है वो मेरी जानकारी के मुताबिक वो जिला प्रशासन की होती है। यहा पर अभी 3 दिन पहले जो जनसुनवाई हुई उसका 90 प्रतिशत स्ट्रक्चर खड़ा हुआ पर्यावरण जनसुनवाई का अता–पता नहीं, जो कि यहा अगर देखे एक सरकार के निर्देश है कोई भी उद्योग बिना पर्यावरण स्वीकृति के बगैर केवल वो बाउण्ड्रीवाल कर सकता है, 33 प्रतिशत एरिया में वो वृक्षारोपण कर सकता है और ये एन.जी.टी. के आदेश होने के बाद भी इतना बड़ा उल्लंघन हुआ तो टी.ओ.आर. किस जांच शर्तो के आधार पर टी.ओ.आर. उपलब्ध कराया गया। जब मैने छोटी ई.आई.ए. का अध्ययन किया एक साल के अंदर इस कंपनी ने जो बाहर से माल आयेगा लगभग 1,11,456 वाहन आयेंगे और एक दिन में लगभग 392 वाहन इस कंपनी में कच्चा माल लेकर आयेंगे तो हम देखे हमारी सड़को पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना दबाव पड़ेगा जो कि अभी रायगढ़ जिले के यातायात विभाग के मुताबिक 2023 में 32,648 नये वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और जो हमारे सड़क का इन्फ्रास्ट्रक्चर है वो जो 1991 में

रायगढ़ जिले में जो था आज वही है। डी.एम.एफ. का 15 सौ करोड़ आने के बाद भी किस तरीके से कमिशनखोरी और भ्रष्टाचार किया गया और रायगढ़ में सड़क नहीं दी गई जनता के लिये। खनन क्षेत्रों में जो राशि वहा के सड़क, बीजली, पानी, रोजगार के लिये काम करना था लेकिन कोई काम नहीं हुआ तो ये 15 सौ करोड़ डी.एम.एफ. में फर्जी तरीके से आदिवासी हॉस्टलो में कागजों में बोर खन दिये गये और बोर का कागज जब हमने आर.टी.आई. में निकाला तो जिस आदमी ने बोर खनन का यहा काम किया उसके पास एक भी बोरिंग मशीन नहीं है और स्थिति यह है कि आपको छत्तीसगढ़ का बड़े गर्व से नाम लिया जाता है कि यहा 4–4 आई.ए.एस. जेल के सलाखो के अंदर है इतनी ईमानदारी और छत्तीसगढ़ के लोगो के साथ निष्ठा करने के लिये और मुझे लगता है कि 1–2 महिने में यहा लगभग 30–40 नये, पुराने अधिकारी और जेल जा रहे है ये मेरी पुख्ता जा रही है। कोयला के घोटाले में, जमीन के घोटाले में, बजरमुड़ा में धारा 4 लगने के बाद भी लगभग 600 ऐसे मकान बन गये जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल के भतीजे के नाम से 2.5 एकड़ जमीन खरीदी गई, पूर्व मंत्री और बड़े–बड़े आई.एस. के नाम से जमीन खरीदी गई और जब एक गांव का आदमी बोलता है कि मैं बीमार हूँ, दमा के लिये इस जमीन को बेचने के लिये आप अनुमति दे दीजिये तो बोलते है धारा 4 लगा है आप जमीन बेच नहीं सकते तो जेल किसको जानां चाहिये और ईमानदारी से रायगढ़ जिले के अंदर सी.बी.आई. और ई.डी. की जांच हो जाये तो 200 अधिकारियों के लिये जेल के दरवाजे खुले है और जो छोटे–मोटे अपराधी है उनको जेल से बाहर निकालना पड़ेगा, इनको परमानेंट रखो। जिस तरीके से हम अनुमति देते है, जिस तरीके से कानुन का अनदेखा करते है हमारे पास अभी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में रायगढ़ की एक रिपोर्ट दर्ज की गई है एक हप्ते पहले और वहा जो रिपोर्ट दर्ज की गई वहा कहा गया कि आदिवासियों की जमीन पर रायगढ़ जिले में लुट कर दिया गया। 170ख के तहत जो कार्यवाही रायगढ़ जिले में होनी चाहिये वो हो नहीं रही है और 5वीं अनुसूची पेशा कानुन एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। 14 सितम्बर 2006 की अधिसूचना यह भी कहती है कि जो जनसुनवाई का आयोजन किया जाना चाहिये परियोजना स्थल के ऊपर या उसके निकटतम दूरी पर आज की जो जनसुनवाई हो रही है वो परियोजना स्थल से 4.5 किलोमीटर दूर है ये इनका ई.आई.ए. का दस्तावेज बोल रहा है। अगर वहां होता तो शायद ये 1:30 बजे जनसुनवाई खतम नहीं होती वहा के जो स्थानिय महिलाये है, युवा है, किसान है, मजदुर है वो आते और अपनी बात कहते और ये। जनसुनवाई हो रही है ये क्रीटिक ई.आई.ए. है। मैं तो यहा कंपनी और जो ई.आई.ए. बनाने वाले है उनकी मदद कर रहा हूँ कि आपके जो ई.आई.ए. क्रीटिक है वो रफ कागज हैं जिसको आप फेयर करने के बाद केन्द्र सरकार के पास जायेंगे इनमें ये चीजे छुट गई है इनको जोड़ा जाना बेहतर होगा 10 किलोमीटर के अंदर देखा जाये ई.आई.ए. बनाने वाले मेरे भाई है इनको मैं बताना चाहूंगा कि अभी 10 दिन पहले जमडभरी गांव में हाथी का एक बहुत बड़ा समुह पहुचां 25 एकड जमीन में वहा के किसानों के कृषि को

(30)

क्षति पहुचाया और जो तमनार के अधिकारी है उसका मूल्यांकन अभी एक हप्ते पहले किया और उनको क्षतिपूर्ति देने के लिये डी.एफ.ओ. रायगढ़ द्वारा आदेश किया गया। परन्तु हमारी ई.आई.ए. के अंदर जब हम जल, जंगल, जीव और जानवर के अध्ययन की बात करते है तो यहां 15 साल, 20 साल पहले जो ईआईए बनी है मेरे पास अभी तक 133 ई.आई.ए. रखी हुई है 5 जनवरी 2004 से अत तक और उनके साथ हम क्रस चेक करते है तो हम देखते है कि इस क्षेत्र में जब नलवा खुला था, नलवा की जनसुनवाई हुई थी इसी जगह पर, इसी जगह पर उस ई.आई.ए. के अंदर जो अध्ययन डाटा डाले गये है वहीं अध्ययन डाटा आज भी उद्योगो द्वारा दस्तावेजों में डाले जा रहे है। हकीकत यह है कि ई.आई.ए. बनाने वाले कंपनी रायगढ़ आती ही नहीं है, रायगढ़ के गावों की बीच संपर्क होता हीं नहीं है। अगर ई.आई.ए. बनाने वाली एजेंसी से आप पुछे कि जिन–जिन गावों का आप अध्ययन किये है उस गांव का सरपंच कौन है, उस गांव का चौकीदार कौन है, उस गांव के 5 ऐसे आदिवासी है वो कौन है तो मुझे लगता है कि ई.आई.ए. बनाने वाली एजेंसी को इसीलिये मालूम नहीं है क्योंकि ये जो कागजी दस्तावेज है जो कागज के ऊपर लिखे गये है, जमीनी अध्ययन नहीं है और मैं जिन तथ्यों के आधार पर बोलता हूँ तो लगभग रायगढ़ जिले के 300 ऐसे ग्रामपंचायत है जहां मैं विगत 33 सालो से काम कर रहा हूँ वहा के सरपंच हो, डी.बी.सी. हो, विधायक हो, सांसद हो और वहा के हितग्राही है उनकी जानकारी रखता हूँ। अभी कल भी अलग–अलग तहसीलो में 5 आर.टी.आई. मैने भू–अर्जन का, यहा के भूमि का जानकारी 1 साल में अपडेट करते रहता हूँ। जब हम पर्यावरणीय अध्ययन करते है, 5 दिन पहले के भौगोलिक अध्ययन डाटा भी मेरे पास है, ये 2011 के आधार के डाटा पर नहीं क्योंकि केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय यह कहता है कि जो भी ई.आई.ए. बनेगी वो 3.5 साल पहले जो अध्ययन डाटा है वो नहीं चलेंगे तो मुझे लगता है कि जब फाईनल ई.आई.ए. हम सरकार को दे तो अभी वर्तमान 2024 के डाटा आ गये है उसको पुरी ई.आई.ए. के अंदर अपडेट किया जाये। यहा के जल पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, यहा टी.बी. है, दमा है, स्नोफिलिया है, कैंसर है, सिलिकोसिस है और जिस तरीके से लोगो के जीवन पर प्रभाव पड़ रहे है जो हमारे जीव है उनके गर्भाशय में किस तरीके से गाठ पड़ रहे है, कंपनी ने ये जरूर कहा है कि हम यहा के लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण करवायेंगे और यहा का स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि रायगढ़ जिले में 173 उद्योग है अगर एक उद्योग 5 गावों में स्वास्थ्य कैंप और वहा का मृदा परीक्षण की जिम्मेदारी ले–ले तो निश्चित तौर पर यहा के वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। कंपनी के लोगो को मेरा सुझाव है कि स्थानीय लोगों को रोजागर नहीं दिया जाता है। कंपनी बहुत सरल तरीके से यह कह देती है कि स्थानिय लोगो में वो क्षमता नहीं है। मैं साल में एक बार बनोरा आश्रम जाता हूँ तो देखता हूँ कि जिनके कटे–फटे हाथ है उनका टर्नओवर साल का लगभग 200 करोड़ है। वे कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते है। कंपनी से मेरा सुझाव है कि यहा कि स्थानिय लोगो की टीम को बनोरा आश्रम जाना

चाहिये और वहा के लोगो के स्कील डेवलपमेंट को देखना चाहिये और वहा जब मैं गया तो मेरे अंदर विश्वास आया कि मैं भले ही आर्ट का विद्यार्थी हूँ, कम पढ़ा–लिखा जरूर हूँ, परन्तु मेरे अंदर अगर सिखने का जज्बा है तो हम उस अध्ययन को बेहतर तरीके से जमीनी स्तर पर लागु कर सकते है यही कंपनी से मेरा अनुरोध है। 17:9

541. – हामरे गांव में सराईपाली गांव में आये थे राजेश त्रिपाठी जी उस समय हमारी दैनीय स्थिति थी। सिंघल इंटरप्राइजेस से हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आया है। यहां धार्मिक अनुष्ठान, शौचालय, शिक्षा के संबंध में उद्योग के द्वारा काम किया गया है। मै। 10 कलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव का आदमी हूं। सिंघल सालासर प्रबंधन एवं मिश्रा तथा केशरवानी जी बोलते हैं कि इस क्षेत्र में गरीब न रहें रोजगार मिले। मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

542. जयंत बहिदार – लोकसुनवाई के पीठासीन अधिकारी आदरणीय पाण्डेय साहब और हमारे पर्यावरण अधिकारी साहू साहब अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि वे किलोमीटर के रेंज के रहने वाले है उन्ही को मौका दिया जाये। 10 कि.मी. के रेंज के तो हम भी है। परियोजना स्थल जहां है गेरवानी में वहा से 10 किलोमीटर के दायरे में ही हमारा नगर का आधा हिस्सा आता है जिसकी जांच आप लोगो ने नहीं कराया है, कंपनी ने इसको छिपा दिया है। जितने वक्ता है मैं उनको बता दूं कि ये पर्यावरणीय लोक सुनवाई है इसमें पंचायत, ग्रामपंचायत और जनपद पंचायत की सीमा रेखा नहीं है। पर्यावरणीय जनसुनवाई में पुरे दुनिया का चिंता हो सकती है, पुरे दुनिया के लोग आकर अपनी बात रख सकते है। पर्यावरण किसी एक पंचायत या जिले या तहसील का मामला नहीं होता, पर्यावरण पुरे ब्रम्हाण का मामला है। हमारे मनुष्य के द्वारा हम पुरे अंतरिक्ष में भी प्रदूषण फैला रहे है। मैं आदरणीय महोदय को आज सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का जिस नाम से आज जनसुनवाई कंपनी के विस्तार के लिये कर रहे है उसमें ये लोकसुनवाई कराना और पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये भारत सरकार का जो पर्यावरण कानुन है 1986 आप लोग तो जानते है यहा जो आम लोग है उनकी जानकारी में दे रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग प्रावधानों, कानुनों ओवरलुक करके, किनारे करके कंरने जा रहे है। सबसे पहले ये जनसुनवाई परियोजना स्थल जो बताया है उससे पौने पांच किलोमीटर दूर जनसुनवाई करा रहे है नियम तो वैसा नहीं है नियम तो यह कहता है कि जो परियोजना स्थल या स्थल के पास में करना चाहिये जैसे पूर्व में आपने कई कंपनियों का जनसुनवाई कंपनी प्रांगण के सामने ही किया है मगर ये इतने दूर किये है समझ में नहीं आता क्यों ऐसा करते है। मैने पहले भी कहा आपने हमारी बात नहीं सुनी जो इनके कंसलटेंट है उनसे हम बात करना चाहते है और इसमें वो भी अधिकार है कि आवेदक से, परियोजना प्रस्तावक से या उनके कंसलटेंट से प्रत्येक उपस्थित नागरिक को प्रश्न पुछने, स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है। कंसलटेंट को आप नहीं बुलायेंगे आप बता दीजिये उनकी कंसलटेंट कंपनी कौन है, मै जानता हूँ पायोनियर लेबोरेट्रीज है ना उनकी

(32)

वेलेडिटी आपने पता लगाया है, उनको लाइसेंस कब मिला था, कब उनकी लाइसेंस समाप्त हो चुकी है उसकी जांच आपने नहीं कराया है। कंपनी के आवेदन के 45 दिवस के अंदर जनसुनवाई करवाना है वो भी आप लोग नहीं करवाते है, सालो बाद करवाते है। कंपनी ने जो रिपोर्ट दिया है ऐसा तो नहीं कि कंसलटेंट की गलती से आप कंपनी मालिक को माफ कर देंगे गलती उसने किया है तो जिम्मेदारी तो कंपनी वाले की भी होती है। ये बताये है 27.85 हेक्टेयर जमीन उनके पास है मौजुदा प्लांट में और उसके 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण करेंगे तो पूर्व में उनका परियोजना संचालित था तो क्यों उन्होने 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण नहीं किया, क्या प्रशासन ने जांच किया उन्होने खुद ही बताया है कि 425 वृक्ष ही है 27.85 हेक्टेयर के क्षेत्र में केवल 425 वृक्ष ही है और जिस तरीके से प्रति हेक्टेयर 2005 वृक्ष होना चाहिये पर्यावरण मंत्रालय के गाईडलाईन के अनुसार उस हिसाब से 23,750 वृक्ष होने चाहिये, केवल 425 वृक्ष है और बता रहे है कि हम और पौधे लगायेंगे, पौधे का क्या मतलब वृक्ष होना चाहिये। आप आपने पौधे रोप दिये, नर्सरी से लाये जमीन पर रख दिये। इनवायरो, पायोनियर के नाम पर जो कंसलटेंट कंपनी है उनको 16 अप्रेल 2022 को लाइसेंस मिला है और उन्होने पर्यावरणीय अध्ययन उसी कंसलटेंट कंपनी ने कराया है 1 मार्च 2022 से 31 मई तक तो हमारा कहना है कि इन्होने पर्यावरणीय अध्ययन डाटाबेस कलेक्शन करने के लिये सौपा उस समय उसको लाइसेंस ही नहीं था उस कंपनी के पास और 21 सितम्बर 2022 तक ही उनका लाइसेंस ही वैध था आज वैध नहीं है जब वैध ही नहीं है तो कंसलटेंट कंपनी कैसे उपस्थित है, या बता दीजिये कि उनको लाइसेंस बाद में मिल गया है ई.आई.ए. रिपोर्ट में तो संलग्न नहीं किया है, हमारी गलती हो सकती है लेकिन बताईये ना कि आप झुठ बोल रहे है, इसका स्पष्टीकरण आपको देना चाहिये। जनसुनवाई का यह मतलब नहीं है कि आप मौन रहे, आप जवाब तो दे दीजये कि कंसलटेंट का वैध कब था, अभी है क्या वैध। उन्होने अपनी ई.आई.ए. रिपोर्ट में बताया है उन्होने खसरा नंबर 17 दिया है वो बताया है कि वो हमारा है वो बता रहे है कि खसरा नंबर जो जमीन दिया है वो 27.85 हेक्टेयर में है और मौजुदा प्लांट में है और उन्होने बताया कि वो सब जमीन डायवर्टेड है और कंपनी के स्वयं की है। सरकारी पत्र व्यवहार भी होता है तो हम मान लेते है। मैं आपको बता रहा है जो 17 नंबर दिया है उसमें खसरा नंबर 2 शासकीय भूमि है इनकी नहीं है, खसरा नंबर 3 प्रस्तावित उद्योग का नहीं है वो भूमि चंद्रसिंह जी का है जो गोड़ जाति के है जिसको हम आदिवासी बोलते है। खसरा नंबर 5/1 संजीव कुमार उपाध्याय जी का है, खसरा नंबर 5/2 मिथिलेश तिवारी जी का है अगर चंद्रसिंह, संजीव कुमार, मिथिलेश आदिवासी अगर उनके कंपनी के मैनेजर होंगे, कंपनी में काम भी करते होंगे, मालिक भी होंगे तो कंपनी के नाम पर जमीन नहीं है। खसरा नंबर 27/1 वो भी उद्योग का नहीं है शासकीय भूमि है, खसरा नंबर 27/2 वो भी इस उद्योग का नहीं है वो भी शासकीय भूमि है, खसरा नंबर 27/3 वो भी उद्योग का नहीं है वो भी शासकीय भूमि है, उन्होने खसरा नंबर दिया है 30/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7 ये जमीन

डायवर्टेड है और वो जमीन सालासर स्टील स्पंज प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड के नाम पर नहीं है आप कहेंगे एन.सी.आई.टी. से खरीदा है तो इसका मतलब है कि ये जमीन किसी दुसरी कंपनी के नाम का और आपने खरीदा जिसका मतलब जिस समय संचालित था तो उस समय भी गलत संचालित था आपने उसको खरीदा और नाम परिवर्तित नहीं कराया ये गलत है और जनसुनवाई कराने, पर्यावरण स्वीकृति के लिये आ गये इतनी गड़बड़ियां के बाद भी जिला प्रशासन सो रहा है। गौर करने वाली बात है कि हमारा जो पर्यावरण मंत्री है वो किसी समय कलेक्टर भी थे। उन्होने चुनाव के समय कहा था कि मेरे रहते जिले में पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, कोई प्रदूषण नहीं फैला पायेगा लेकिन चुनाव तो जीत गये झुठ बोलकर और आज जनसुनवाई पर जनसुनवाई करवा रहे है। क्या पर्यावरण अधिकारी को नहीं मालुम, सरकार को नहीं मालुम, बिना सरकार के आज्ञा की जनसुनवाई हो रही है, जनता हिसाब लेगी आने वाले दिनों में। उन्होने खसरा नंबर 89/3, 89/4, 90/2, 91/2 का भी उल्लेख किया है जिसमें वो काबिज है बता रहे है और जिसमें क्षमता विस्तार के बाद प्लांट स्थापित करेंगे बता रहे है, वो भी उद्योग का नहीं है लेकिन रिपोर्ट में जिक्र किया है। मौजुदा प्लांट के भीतर केवल डायवर्टेड लैण्ड की बात करेंगे तो 17.609 हेक्टेयर है 27.85 हेक्टेयर में कंपनी लगेगा इनका विस्तार होगा तो वैसे भी 10 हेक्टेयर जमीन कम हो रहा है और भू–स्वामी भी ये सालासर स्टील नहीं है स्पष्टीकरण आप लीजियेगा की कैसे ये दूसरे के नाम पर है और कैसे आपने ज्यादा जमीन बताया है। पहले भी मैने बताया है कि कंसलटेंट कंपनी को लाइसेंस उस दौरान नहीं मिला था जब ये पर्यावरण अध्ययन किये इस क्षेत्र में। ये ई.आई.ए. रिपोर्ट झुठी बनी है। पर्यावरणीय प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सकती है। हमने पहले भी बताया है ये बोले है एक तिहाई क्षेत्र में वृक्षारोपण करेंगे, वृक्षारोपण पहले हो जाना था वो नहीं हुआ है वो भी उल्लंघन है और प्रशासन को जांच करके कार्यवाही करनी चाहिये। इस परियोजना प्रशासक ने कंसलटेंट कंपनी जो अवैध है 10 किलोमीटर के दायरे में पर्यावरण अध्ययन कराया उन्होने बताया है कि बंजारी माता मंदिर वो 4.75 किलोमीटर दूर और आप जनसुनवाई यहा करवा रहे है। परियोजना स्थल गांव गेरवानी है जो रायगढ़ तहसील में है और ये जनसुनवाई स्थल ग्राम–तराईमाल में आता है जो तमनार तहसील में है इतना भारी अत्याचार आप लोग कैसे करते है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में बताया है कि किरोड़ीमल नगर स्टेशन वो 24.5 किलोमीटर सड़क मार्ग से है क्या जरूरत है, रेलवे रायगढ़ स्टेशन का दर्ज नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि वो 10 किलोमीटर के दायरे में आ जायेगा। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि समीप का जो रेलवे स्टेशन हो उसका नाम दर्ज करो उन्होने रायगढ़ स्टेशन का नाम ही दर्ज नहीं किया, घनी आबादी को उन्होने हटा दिया, नगर निगम को हटा दिया। 2.5 लाख से 3 लाख जनसंख्या है रायगढ़ में उसको वो खा गये और किरोड़ीमल नगर को सड़क मार्ग से 24.5 किलोमीटर बता दिया। जब आदमी गलती करता है तो कही ना कही पकड़ाता है, हम भी अपराध करेंगे तो पकड़ायेंगे वो प्रकृति का नियम है उन्होने गलती किया है और

कहा है निकटतम हवाई अड्डा जिंदल हवाई पट्टी 6.5 किलोमीटर, जिंदल की हवाई पट्टी 6.5 किलोमीटर है तो पतरापाली, भगवानपुर ये भी तो 10 किलोमीटर में आ गये वो तो नगर निगम के वार्ड है, शहरी क्षेत्र है इसकी जानकारी नहीं दिया। ग्रीन बेल्ट विकसित करना एक तिहाई में जरूरी है कितना पर्यावरण का नुकसान हो रहा है उसके बाद भी कोई कंपनी पालन नहीं कर रहा है, पुरे जिले का पर्यावरण बरबाद हो चुका है। मै पहले भी बोला उसको फिर से बोल रहा है इन्होने 27.85 हेक्टेयर के जमीन के लिये जो बताया है उन्होने कहा है कि प्राईवेट लैण्ड नहीं है मैं पढ़ दिया पहले आदिवासी का है, ब्राम्हण का भी है, शासकीय जमीन निल बताया है। इन्होने जानकारी दी है कि जो प्रभावित जोन है उन्होने कृष्णापुर को 6.5 कि.मी. बताया है, उर्दना को 7.6 किलोमीटर बताया है, भगवानपुर 8.5 किलोमीटर बताया है, लामीदरहा को 9.3 किलोमीटर बताया है, रामपुर 9.5 किलोमीटर बताया है और गेजामुड़ा जो जिंदल कंपनी के भी उस तरफ है, पतरापाली को नहीं दिया गेजामुड़ा का दर्ज है वो 9.6 किलोमीटर, कलमी 9.6 किलोमीटर, परसदा 9.7 किलोमीटर जो जिंदल के आगे है मगर जिंदल बस्ती को जिंदल का अस्पताल है इतना बड़ा हास्पिटल हजारो लोग ईलाज करवाते है इस अस्पताल का जिक्र इन्होने नहीं किया, बरमुड़ा गांव सब जानते है कोसमनारा में बाबा जी का मठ है, हजारो लोग जाते है उसके पास है बरमुड़ा गांव ये जिंदल के प्लांट के उस तरफ है तो ये जो गांव बताया है वो शहरी क्षेत्र में है। इनको नाबर्ड ने लाईसेंस दिया है पायोनियर इन्वायरो लेबोरेटरी कंसटेंट प्राईवेट लिमिटेड को उन्होने दिया है 16 अप्रेल 2022 को जिसका वैधता 21 सितम्बर जो इनको दिया है उसी को देखकर बोल रहा हूँ उस समय इनको लाइसेंस नहीं मिला था और पहले मिला था बो देना था जानकारी और आज वो उपस्थित हो रहे है तो आज भी उनके पास वैधता प्रमाण–पत्र नहीं है। इन्होने जो रिपोर्ट में खसरा नंबर दिया है उसके साथ कुछ अतिरिक्त खसरा नंबर का भी जानकारी इन्होने दिया है कि उसमें शासकीय जमीन भी है निजी जमीन भी है, एन.आर. इस्पात का भी 3.5 एकड़ के आस–पास जमीन है, एक जमीन भागीरथी, पिता बुद्धिराम का है, एक मुनुदाई पति हरि का भी नाम है। ये 29.775 हेक्टेयर में कंपनी का कब्जा है ये मैने अपने स्तर पर जानकारी निकाला है आप जांच करा लीजिये और फिर इनको पर्यावरणीय स्वीकृति देने के लिये ऊपर शासन को भेजे आज इन सब का कागज आपको दे रहा हूँ इस सभी चीजो का स्पष्टीकरण मांगे अगर इनका स्पष्टीकरण संतोषजनक ना हो तो जनसुनवाई का यही रोक लगाकर सुधार करे साल, छः महिना लग जाये और सुधार करके आये उसके बाद हम गुण–दोष के आधार पर बहस करेंगे। एन.सी.आई.टी. से इन्होने जमीन खरीदा जरूर है मगर शासन की गाईडलाईन को पुरा करना था जो नहीं किये है। पर्यावरण का भी हालत खराब है, इतना प्रदूषण इस क्षेत्र में है। ये गेरवानी, तराईमाल, पूंजीपथरा क्या इस क्षेत्र में और कंपनी स्थापित हो सकता है। मैं इसका विरोध करता हूँ, इसकी परियोजना का विरोध करता हूँ, इसके विस्तार के लिये विरोध करता हूँ।

543. राजेश नायक, रायगढ़ – मैं दोनो के धैर्य को प्रणाम करता हूँ। मैं सबको नमन करते हुये विस्तार की जनसुनवाई का विरोध करता हूँ। हम देखते आ रहे है और जनसुनवाई होती जा रही है। ई.आई.ए. में त्रुटी होने के बावजुद कैसे जनसुनवाई हो जाती है समझ नहीं आता। कोई नियम कानुन का अर्थ ही नहीं रहा। सब पूंजी का खेल है और मानव जाति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहा कई एजेंसी के द्वारा अध्ययन किया गया है यहा प्रदूषण की मानको को पार कर दिया गया है। आप सब किन मजबुरी में है जो इन कंपनियों का विस्तार करवा रहे है, ना जाने किसकी हुकुमत चल रही है। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जितनी भी बाते हुई है जिसमें सब को सांस लेने में दिक्कत है, आप को भी दिखाई देता होगा। देख की संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुये विस्तार किया जायेगा इसमें ही हम सबकी भलाई है।

544. राधेश्याम शर्मा, रायगढ़ – उपस्थित सभी ग्रामीण, प्रशासनिक अमला, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और मंचस्थ अधिकारीगण, कंपनी के सभी समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण मैं सब को सादर प्रणाम करता हूँ। मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड की इस अवैधानिक जनसुनवाई का विरोध करता हूँ। हमारे पूर्व वक्ताओं ने इसमें जो तकनिकी रूप से विसंगतियां है उन पर प्रकाश डाल दिया है और ये निरंतर एक प्रक्रिया चल रही है कि किसी भी कंपनी की जनसुनवाई होना है। विरोध कितने भी न्यायसंगत तरीके से, कानुनी तरीके से हो कंपनियों को पर्यावरणीय स्वीकृति मिल जाती है। ऐसा इसलिये हो रहा है कि देश की जो व्यवस्था है वो सत्तारूण दल के पास भी नहीं है। इसे ताकतवर विदेश में बैठे लोग जो पुरे विश्व के देशो को संचालित कर रहे है उनके ऊपर में निर्धारित करता है कि इस देश में इस वक्त क्या परिस्थिति निर्मित करनी है पुरे विश्व में विकसित देशों को क्या–क्या चीजों की जरूरत होती है वो विकासशील देशों से या पिछड़े देशों से उनके खनिज का दोहन करके या वहां औद्योगिक प्लांट लगाकर हासिल लेते है। हम 1947 को निश्चित रूप से सब मानते है कि हमें आजादी मिल गई लेकिन हमारे पूर्वजो ने जो सहादत दी है उस सहादत के बाद अगर 15 अगस्त 1947 को आजादी हुई है तो आजाद देश में यहा के संविधान का परिपालन होना चाहिये था, कानुन का पालन होना चाहिये था जिसके लिये शासन–प्रशासन के लोग, लोगो की नियुक्ति हुई है परन्तु इस 77 वर्षो में और संविधान बनने के पश्चात संविधान का पालन नहीं हुआ है। विकास के लिये औद्योगिक विकास भी जरूरी है। एक देश को पूर्ण रूप से समर्थ होने के लिये जिन–जिन चीजो के लिये विकास करनी चाहिये वो विकास होनी चाहिये और औद्योगिक विकास के लिये हम विरोध करते है ऐसा नहीं है, नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है, कानुन का पालन नहीं हो पा रहा है, संविधान का परिपालन नहीं हो पा रहा है इसलिये विरोध है और विरोध में जितने जागरूक लोग आयेंगे और जिन–जिन बिन्दुओं में विरोध दर्ज करवायेंगे वो पर्यावरण मंत्रालय में दिल्ली में बैठे भ्रष्ठ लोग है उनकी लेन–देन बढ़ जायेगी वो बता देंगे बिन्दुवार कि आपके मे ये–ये खामियां है, जनसुनवाई के प्रोसेडिंग उनके टेबल में है तो दुकान जैसे चलता है पर्यावरण मंत्रालय भी

वैसे ही चल रहा है, देश का मंत्रालय, सरकार चल रही है वो सिर्फ ये देखंते है कि जनता ने किन बिन्दुओं पर विरोध किया है उसके हिसाब से लेन–देन होगा, उसके हिसाब से आपको क्लियरेंस मिलेगा, क्लियरेंस के लिये कोई जनता का विरोध काम आ रहा है ऐसा नहीं। कभी–कभी कुछ लोग कानुनी कार्यवाही लड़ते है और जनसुनवाई की प्रक्रिया को या जनसुनवाई होने के बाद यह पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद भी रद्द हो जाती है तो वो बहुत ही कम है, उसका अनुपात बहुत कम है वो फिर से जनसुनवाई करवा लेते है, फिर से अनुमति मिल जाती है, लेकिन जिन कानुनी बिन्दुओं पर जनसुनवाई या उसके स्वीकृति जो रद्द होता है तो निश्चित रूप से जो कानुन का परिपालन नहीं हुआ है, जिन अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है क्या आज तक भारत के इतिहास में कोई प्रशासनिक अधिकारी, आयोग में बैठा अधिकारी कभी दण्डित नहीं हुआ है, तो भारत के लोगो को जो गलतफहमी है कि हम आजाद है, प्रशासनिक अमले को भी लगता है हम प्रशासनिग अधिकारी सब गुलाम है। अगर गुलामी नहीं रहती तो यहा पीठासीन अधिकारी को मेरे जैसे लोग बहुत ही अनर्गल बात बोलते है उनको सहना पड़ता है, क्यों सहना पड़ता है, क्योंकि इनका नियंत्रण ऊपर से है इनको बोल दिया गया है कि गाली बके, तुम्हारे परिवार को गाले बके तुमको सुनना है और पुरा करवाना है, प्रक्रिया कम्प्लिट ही करवाकर तुमको उठना है इसी एवज में तुम नौकरी कर रहे हो नहीं तो नौकरी नहीं करोगे और कई अधिकारी यदा–कदा सिस्टम के विपरित जाते है तो आई.पी.एस. राहुल शर्मा जैसे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद पुरा पुलिस विभाग मौन हो जाता है कि हत्या है या आत्महत्या वो नहीं जानना चाहती है, सी.बी.आई. भी अपना खानापुर्ति कर देती है, कैसे विरोध करेगा आदमी। राहुल शर्मा की हत्या भी इसी औद्योगिकीकरण की कड़ी है जिसके विरोध में उनकी हत्या सुनियोजित तरीके से उस समय में शासन, प्रशासन में बैठे ताकतवर लोग थे उनके द्वारा हत्या हुई। सरकार बदली, भूपेश सरकार कांग्रेस की सरकाई आई और उन्होने कहा की हम इसके लिये एस.आई.टी. बैठा देते है और 5 सीनियर आई.पी.एस. की एस.आई.टी. बैठा दी अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। भूपेश बघेल जी को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जितना दबाव बनाना था बना लिया इसलिये वो आज स्वतंत्र है, बाकी उनके लोग ई.डी. के गिरफ्त में है ना, सब कुछ समझौता के तहत चल रहा है। अगर भारत का कोई आदमी, कोई प्रशासनिक आदमी, कोई न्यायायिक अमला, कोई संविधान का ज्ञाता यह बता दे कि मैं उस आजादी के अनुबंध को जानता हूॅ जिसमें भारत आजाद हुआ है। मैं दावा करता हूॅ कि इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और न्यायायिक पदो में बैठे लोग चाहे वो हाईकोर्ट, सुप्रिम कोर्ट क्यों ना हो वो नहीं बोल सकते कि उस अनुबंध को हमने जाना है, समझा है, क्योंकि आजादी नहीं है। इसलिये आज अंधाधुन औद्यागिकीकरण हो रहा है वो एक कंपनी सालासर से नहीं हो रहा है। मैं 23 साल से जब मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ आज पीठासीन अधिकारी बैठे है सारे पुराने रिकार्ड उठा कर देख ले कि एक भी जनसुनवाई विधिसम्मत हुई है क्या? जनसुनवाई में पीठासीन अधिकारी

और पर्यावरण अधिकारी से कोई प्रश्न करता है तो नियमों के तहत उनको निराकरण करना चाहिये, तो जो जनसुनवाई पूर्ण रूप से अवैधानिक है उसका वो कैसे निराकरण करेंगे। इसलिये ओम शांति, मौन रह जाओ, मौन रहने का ही दबाव है, वो दबाव किसी भी प्रकार का हो सकता है। आर्थिक हो सकता है, भय हो सकता है, जब एक आई.पी.एस. को गोली मार सकते है, हाईकोर्ट के जजो की हत्या हो सकती है तो इस देश में विरोध कैसे होगा। जीने के लिये सब इच्छुक है लेकिन भय का वातावरण है यही कारण गुलामी है। जनसुनवाई का जो मापदण्ड है, अभी साहब बोले कोई आपत्तिकर्ता, विरोधकर्ता है, सहमतिकर्ता है वो आये अन्यथा ये जनसुनवाई बंद कर देंगे। ये क्या जो पर्यावरण मंत्रालय में बैठे अधिकारी है वो नहीं बता सकते कि इसका क्या नियम है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक चलना चाहिये लेकिन हम मानते है कि शासकीय जो कार्य होता है वो 10 से 5 बजे तक होता है, 5 बजे तक धैर्य से बैठिये ना जाने कौन कितने दूर से आ रहा है, हम कई जनसुनवाई में गये है उससे पूर्व बंद हो गया है, हम वंचित रह गये है तो क्या नागरिकों के अधिकारों से वंचित करने का अधिकार प्रशासन को मिला हुआ है, प्रशासन जनता के अधिकारों का हनन करने के लिये बैठी है, आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का आप पालन करे। यहा कोई आपत्ति दर्ज करता है, नहीं करता है ये जनमत संग्रह की प्रक्रिया है, अगर चुनाव होता है, सरकारे बनती है तो वहा जो पीठासीन अधिकारी होता है वो नहीं बोलता वोट डालने नहीं आ रहे है चलो 1 बचे भग जाओ, क्यों नहीं बोलता उसके लिये अलग नियम है, इसके लिये अलग नियम है ऐसा नहीं है। शासकीय कार्य की जो अवधि है वहीं उसका समय है। अगर जनसुनवाई के लिये समय निर्धारित नहीं हुआ है तो मैं पीठासीन अधिकारी और पर्यावरण अधिकारी से निवेदन करूंगा कि मेरे इस बिन्दु को नोट किया जाये और पर्यावरण मंत्रालय भेजा जाये कि इसके लिये एक निश्चित समय–सीमा निर्धारित किया जाये, क्योंकि दूसरे राज्य में हम जाते है 2 दिन, 3 दिन तक जनसुनवाईयां चलती है और ये छत्तीसगढ़ है, पुरा देश तो गुलाम है, हम गुलाम की स्थिति में है, यहा हम कुछ बोलेंगे तो उसको कोई मानेगा नहीं और उसको सीधा एक खाचा में कि ये विरोध करता है ये विरोधी है तो क्या इस प्रदेश में कहीं कोई प्रदूषण नहीं है। क्षमता विहिन मार्गो पर जो औद्योगिक वाहन चल रहे है जिसमें आम मनुष्य को चलना था, जिसकी क्षमता औद्योगिक इकाईयों के बढ़ते–बढ़ते वो भी बढ़ जानी थी वो भी नहीं बढ़ा है। प्लांट चल रहे है, सी.एस.आर. मद का पैसा होता है वो जनता हित का पैसा होता है तो रायगढ़ में 200 करीब इण्डस्ट्री है अगर ये जनता के हित के लिये इस मद के पैसो को ठीक से खर्च करते तो आप लोग भी गये होते टाटा, भिलाई स्टील प्लांट, इतने बड़े–बड़े प्लांट लगने के बाद भी शहर अगर साफ सुथरा है तो ईमानदारी से उस मद के पैसे का जनता के हित के लिये उपयोग कर रहे है, यहां कौन कंपनी कर रही है बताईये। पीठासीन अधिकारी महोदय दण्डाधिकारी पद में है, जिंदल जो फोर्टिस हास्पिटल चला रहा है वो मद से बना हुआ है उस पर वो व्यापार कर रहा है तो ऐसे यहा परंपरा निर्धारित हो गई है क्योंकि अधिकारी को

38

कुछ नहीं बोलना है, अधिकारी जान गया उसको उसका हिस्सा मिल जायेगा कि आप मौन है। यहा जो स्कूल बनाया है जिंदल ने वो भी उसी मद का है, इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी उसी मद का है तो क्या इतने कलेक्टर बदली हो गये, एडिसनल कलेक्टर बदली हो गये किसी को पता नहीं कि वो सी.एस.आर. मद का है और उसको जनता को शासन के सुपूर्द कर देना चाहिये, क्योंकि सरकार कोई राजनीतिक दल नहीं है, सरकार सिर्फ उद्योगपति है, उद्योगपतियों का सामुहिक सरकार है और इनके गठबंधन वैश्विक है, जो वैश्विक स्तर पर गठबंधन होता है, जो व्यापार के लिये अनुबंध होता है उन सभी अनुबंधों के तहत राजनीतिक दलो को चलना पड़ता है। हमको लगता है कि अभी कांग्रेस की सरकार है, बी.जे.पी. की सरकार है ये सब पेटी कांट्रेक्टर है, ये छोटे ठेकेदार है, ऊपर वाले को जब ये लगता है कि इनको बदलना है तो वो बदल देंगे। प्रदूषण से निजात पाने के लिये प्रशासनिक अमला पूर्णतः विफल हो चुका है ऐसे में कैसा होगा? और छत्तीसगढ़ वालो की सहन शक्ति जो देश में सड़क में मरने वालो में सबसे आगे है फिर भी मौन है। रायगढ़ और कोरबा ज़िले में अत्यधिक प्रदूषण है, बिलासपुर, रायपुर भी उसी समकक्ष है। रायपुर के सारे इण्डस्ट्रीयल एरिया को हटाकर वहा से महासमुंद, भाटापारा–बलौदा बजार, बेमेतरा जिला में वहा उनको शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि नेता लोगो को जिंदा रहना है, बड़े अधिकारियों को जिंदा रहना है, उद्योगपतियों को जिंदा रहना है, आम आदमी मरते है उसके जीवन का क्या अर्थ है। हमारे दीमाक ये निर्धारित रूप से बैठा दिया गया है कि ऐसे ही प्रकृति होती है, तुम मर रहे हो यही तुम्हारा भाग्य है। आदमी बोलता है मेरा संवैधानिक अधिकार ये है, वो है, मेरा संवैधानिक अधिकार अगर मुझे मालूम रहता, और जनता को मालूम रहता तो पीठासीन अधिकारी यहा पर बैठ पाते क्या? इस तंबु पंडाल को यहा से फेक देते, यहा आग लगा देते और छत्तीसगढ़ की जनता जब तक ऐसे कदमों को नहीं उठायेगी प्रदूषण से अपने को नहीं बचा पायेगी, अपने पीढ़ी को नहीं बचा पायेगी, बिल्ली के आगे चुहां कोई क्रांति नहीं करता, वो कर ही नहीं सकता, क्रांति सशस्त्र होती है। छत्तीसगढ़ में जब तक लोग किसान, मजदुर जब तक डंडा लेकर सड़को पर नहीं आयेंगे और कंपनियों में तालाबंदी नहीं करेंगे जो प्रदूषण फैला रहे है तब तक प्रदूषण नियंत्रण नहीं होगा। गांव के लोगो को सड़को पर खड़ा होना पड़ेगा और औद्योगिक वाहनों को रोकना पड़ेगा, उद्योग के परिचालन को रोकना पड़ेगा तब ये हो पायेगा। अगर लोक सोचते है कि देश में न्याय पालिका है तो कोई न्याय पालिका नहीं है, न्यायपालिका सबसे करप्ट है, भ्रष्ट है, अगर न्यायपालिका होता तो स्वस्फुर्त संज्ञान ले लेता सब चीजो का, अगर इतने लोग सड़को में मर रहे है तो सज्ञान ले लेता कि क्यों मर रहे है, क्या कारण है और कमेटी बैठाकर उसके नियंत्रण के उपाय करता। न्यायपालिका में सिर्फ दलाल लोग ही पहुच पाते है वो कैसे संविधान का पालन करवायेगा, वो कैसे कानुन का परिपालन करवायेगा और उसमें कुछ जागृत लोग हो जाते है तो लोया जैसे मारे जाते है। जस्टिस लोया की जैसे हत्या हुई वैसे ही मारे जाते है। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने हत्या किया वो उस दबाव को सहन

Asal

नहीं कर सकते थे वो जागृत हो चुके थे, उनकी अंतरात्मा जागृत हो चुकि थी और राहुल शर्मा जी जैसे जब सोचे कि यहा जो हत्याये हो रही है, यहा जो गलत काम हो रहे है वो तात्कालिन बड़े नेता यहा के प्रभावशाली करवा रहे है, प्रशासनिक के लोग करवा रहे है, उद्योगपति करवा रहे है, और उनकी भी हत्या हो गई। पुलिस, सेना के जवान सिर्फ उद्योगपतियों, प्रशासनिक अमला के सुरक्षा के लिये है, जनता में भय व्याप्त करने के लिये है, वो और किसी काम के नहीं है। क्या कानुन के दायरे में प्रदूषण फैलाने का अपराध का संज्ञान पुलिस अधिकारी नहीं ले सकता, पुलिस का अधिकारी भी ठेके में आता है। एक एस.पी. आयेगा, वो बोली लगायेगा और वो मुख्यमंत्री तक पहुचेगा, प्रधानमंत्री तक पहुचेगा, ये चैन जुड़ा हुआ है, इस चैन को कैसे तोडा जा सकता है। बहुत से देशों में क्रांतियां हुई है, वैचारिक क्रांतिया पुरे विश्व में कई नहीं हुई। जिनको वेचारिक क्रांतियों का नाम दिया जाता है वो इतिहास गत है। क्रांति सिर्फ ताकत से होती है। यहा 2–5 जनसुनवाई के तंबु में आग लगा दिया जाये, खदेड़ दिया जाये, कितना पुलिस बल होता है, पुलिस बल में भी हमारे लोग है, हमारे परिवार के लोग है वो गोली चला देंगे? लेकिन जनता की उतनी संख्या होनी चाहिये। लेकिन हर आदमी को अपने जीवन, अपने परिवार के जीवन को सौपा है कि शायद मैं रक्षा करूंगा और एक–एक करके जो भेड़–बकरी है, जो मुर्गी कटते है वैसे ही हम मरते चले जा रहे है, रोज सड़को पर लाशे बिछ रही है, मॉ का गोद उजड़ रहा है, बहनों की मांगे उजड़ रही है फिर भी हम मौन है। छत्तीसगढ़ में सभी इण्डस्ट्री अनियंत्रित है। प्रदूषण का जो मापदण्ड है पुरा करना नहीं चाहती, क्यों नहीं करना चाहती क्योंकि उद्योगपति को ज्यादा पैसा कमाना है, अगर मापदण्डों पर अपने उद्योग को संचालित करेगा तो खर्च बहुत ज्यादा आयेगा। उस खर्च की बचत के लिये इतने लोग शहीद हो रहे है, उनको हम शहीद का दर्जा दे रहे है क्या? हमारे सड़को पर हमे चलना चाहिये वहा बड़े औद्योगिक वाहन चल रहे है तो उद्योग के आपूर्ति के लिये यहा जो कोयला है आप हवाई मार्ग तैयार करीये हम क्यों मरेंगे। मैं जो बोल रहा हूं वो बाते राज्य की जो कमेटी है भ्रष्ट कमेटी पर्यावरण संरक्षण मण्डल की वो भी जानते है, बोलते है बाल, बच्चे, परिवार है, नौकरी में आ गये है क्या करे, जैसे हमारे पीठासीन अधिकारी को लगता है कि हम नौकरी में आ गये है क्या करें तो बताईये इनते बड़–बड़े अधिकारी जो दण्डाधिकारी के पद पर है वो गुलाम है उनको ओम शांति बोलकर मौन साधना पड़ रहा है उनको कोई गाली बक दे तो वो उठ कर नहीं बोल सकते कि क्यों गाली बक रहे है। पैकेजिंग में सब काम हो रहा है। पर्यावरण मंत्रालय का एक आदमी अगर जागृत हो जाये तो वो सभी राज्यों की कमेटी को एकत्रित कर सकता है कि पर्यावरण की स्थिति कहां–कहां कैसी है, किन जिलो में कितनी है, कहा की कैपेसिटी पुरी हो चुकि है और नियंत्रण के क्या–क्या उपाय होना चाहिये। मैं जितने कलेक्टर आते है उनसे निवेदन करता हूँ कि जनता की एक कमेटी बना दीजिये। इण्डस्ट्रीयल जो बेल्ट है, उनके गांव है, शहर है वहा एक कमेटी बैठा दीजिये वो अपनी रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को सबमिट करेंगे जो कानुन का उल्लंघन कर रहे है उनको दण्डित करे,

उनको बंद करने का जो प्रावधान है उसको करे। सामान्य रूप से हमको लगता है कि ऐसे ही मर रहे है, बीमारी में कितने लोग मर रहे है। अगर मै किसी को धीरे–धीरे स्लोपाईजन दे रहा हूँ तो मरेगा ना, वो भी तो हत्या है, वो तो सुनियोजित सड़यंत्र के तहत हत्या है तो ये सुनियोजित सड़यंत्र हत्या में दिल्ली के पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्र की सरकार या राज्य की सरकार, यहा का पर्यावरण संरक्षण मण्डल सब एक है और उद्योगपति इन्हे संचालित कर रहे है। हम बोलते है मोदी जी प्रधानमंत्री है, द्रौपति मुर्मु जी राष्ट्रपति है कोई कुछ नहीं है, सब गुलाम है और गुलाम को गुलामी स्थिति में काम करना पड़ता है। मृत्यु का भय सब को है क्योंकि 1947 की आजादी का पता ही नहीं है कि हम आजाद हुये कि नहीं हुये तो कैसे आप दावा कर सकते है कि मैं आजाद हूँ, फहराईये झण्डा 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारत माता की जय बोलिये, भारत आप जिसको देश बोलते है राष्ट्र का दर्जा नहीं है आप संविधान के पन्नो को उठाकर देख ले कि कहा पर भारत को राष्ट्र बोला गया है। अंग्रेज से पूर्व यहा के राजा को जो विदेशी ताकते करवाई उसके बाद अंग्रेज लोग काबिज हुये तो ये राज्यों का समुह था वो राज्यों को सबको बोला गया कि 15 अगस्त से पहले अपना–अपना राज्य बना लो तो भारत कोई देश नहीं है और जय श्रीराम बोलने से किसी की रक्षा नहीं हो जायेगी, विश्वास करते रहो आप मोदी जी रामचंद्र जी के अवतार है तो रामचंद्र जी किसी की रक्षा नहीं करेंगे। देश के लोगो को, प्रदेश के लोगो को अब सिर्फ एक मार्ग बचा है सशस्त्र क्रांति वो शस्त्र चाहे किसी भी प्रकार का हो जब तक वो प्रशासनिक अमले को रोक नहीं पायेंगे ऐसे प्रदूषण के शिकार होते रहेंगे, सड़क दुर्घटना के शिकार होते रहेंगे और अंधाधुन औद्योगिकीकरण होता रहेगा। पर्यावरण मंत्रालय में एक आदमी भी जिंदा है जिसके गले में पट्टा नहीं है तो इस जनसुनवाई को निरस्त करें। इस जनसुनवाई को पीठासीन अधिकारी महोदय थोड़ी ना निरस्त करेंगे, कार्तिकेय गोयल जी निरस्त करेंगें क्या? कार्तिकेय गोयल जैसे बहुत सारे लोग आये, ये हर्षमंदन जी नहीं है, ये विश्वकर्मा जी नहीं है, ये डॉक्टर राजू नहीं है, उनके कार्यकाल में स्वयं यहा जिला दण्डाधिकारी उपस्थित होते थे और बिन्दुवार जो जानकारी देते थे इसी पीठासीन अधिकारी के कुर्सी में बैठकर वो जनसुनवाईयों को निरस्त किये। आर रायगढ़ के इतिहास को देख लीजिये यहा 3 दर्जन से ज्यादा जनसुनवाई स्पाट में निरस्त हुई है। पहले लोग लड़ते थे, अब मैं नेता हूँ मुझे पैकेज मिल गया मैं यहा आउंगा, भाषण दूंगा और घर चला जाउंगा। मेरे को किसी से मतलब नहीं है कौन मरता है, कौन जिंदा रहता है। अब कौन लगायेगा आग, कौन उठायेगा शस्त्र तो शायद अब मैं बुड़ा हो चला हूँ अब मेरे पास कोई काम नहीं है, अब मेरे को लगता है कि शस्त्र उठा लेना चाहिये यही मेरे लिये मार्ग बचा है और मेरे को सार्वजनिक मंच में घोषणा करना चाहिये कि मैं सशत्र क्रांति की ओर बढ्ढुंगा क्योंकि देश में संविधान का पालन नहीं हो रहा है, कानुन का पालन नहीं हो रहा है तो सिर्फ एक ही मार्ग है शस्त्र क्रांति। मुझे जाना चाहिये उन उग्रवादियो संगठनों से ताकत लेने के लिये उन नक्सलियों से कि मेरी जीवन रक्षा करने के लिये इस देश का कानुन,

न्यायपालिका, प्रशासन, शासन सब ध्वस्त हो चुके है अब मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और मुझे ताकत दो। इस बात को भी नोट किया जाये पर्यावरण मंत्रालय के लिये कि अब जनसुनवाई का नाटक बंद होना चाहिये देश में, जिसको जो जहां लगाना है लगाये, काहे इतना नाटक, इतने सारे पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अमला जनता क्यों हलाकान हो जब मरना ही है, आप लोगो को मारना ही है हमको तो आप कही भी मौत का कारखाना डालिये, बंद कर दीजिये ये नाटक आगे जारी नहीं होना चाहिये और आगे जारी होगा तो मेरे जैसा आदमी जो अभी घोषणा किया हूँ मेरे पास बल कम है, मेरे पास लोग नहीं है लेकिन इस बुड़े शरीर में जितनी शक्ति है मैं विरोध करूंगा और जनसुनवाई अब नहीं होने दूंगा। मैं जो अपराध करूंगा उसको मैं अभी से घोषणा करने जा रहा हूँ कि मैं अपराध करूंगा, अपराध करने के लिये बाध्य करने वाले इस देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, उद्योगपति होंगे। मेरा बाकि का उम्र जेल में बीत जायेगा, मैं 22–23 वर्षो से जेल जा रहा हूँ मैं आराम से वहा कीर्तन, भजन करूंगा मेरे को पिड़ा नहीं होगी, मैं देख रहा हूँ मेरे को पिड़ा होती है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जिन न्यायालयों के पास हम जाते थे वो न्यायालय अब मौन हो जाते है, वो न्यायधीश मौन हो जाता है और उल्टा–सीधा तर्क देने लगते है तो हम तो पढ़े–लिखे नहीं है, उतना कानुन जानते नहीं, संविधान को जानते नहीं और ज्यादा हम जिद करेंगे तो पुलिस बल का उपयोग करेंगे। पहला एक ऐसा समय था कि 2004 में जिंदल के विरूद्ध उसकी जनसुनवाई को देश में पहला न्यायालय निचली अदालत सी.जी.एम. कोर्ट ने स्थगन दे दिया था। आज तक भारत देश के इतिहास में पीठासीन अधिकारी को मालूम होगा कि भारत के इतिहास में पर्यावरण से संबंधित मसले को सिर्फ उच्च न्यायालय ही सुनता है लेकिन अंतर्भुत शक्तियां सभी न्यायालय के समतुल्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियां है वो निचली अदालत में बैठे न्यायाधिस के पास अंतर्भुत शक्तियां वही शक्तियां है सिर्फ भौगोलिक परिक्षेत्र बदल गया है। राष्ट्रपति की जो शक्तियां है वो नायब तहसीलदार की भी शक्तियां है भौगोलिक क्षेत्र का फर्क है, लेकित तहसीलदार साहब मैं तो बहुत छोटा पद वाला हूँ कलेक्टर साहब है, एडिशनल कलेक्टर साहब है, कमिशनर है उनको बोलिये, किसी को भी बोलने से कुछ नहीं होना है। जो प्रतिबद्ध है उद्योगो के लिये, जो प्रतिबद्ध है संविधान के उल्लंघन के लिये, जो प्रतिबद्ध है हत्या करने के लिये चाहे सड़को से, चाहे प्रदूषण से फैले बीमारियों से वो सिर्फ मनुष्यों की हत्या नहीं कर रहे है जैव मण्डल के सारे प्राणी उनसे त्रस्त है। मैं प्रकृति से भी आहवाहन करता हूँ कि वो अपने शक्तियों को जागृत करे वो चाहे किसी भी परिस्थिति में जागृत हो जैसे कोरोना आया वो कोरोना सत्य था लेकिन राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक उस शक्ति के नतमस्तक हो गये, क्योंकि डब्ल्यू.एच.ओ. ने बोल दिया कि ये बीमारी है। जिस देश में 3 वर्ष पहले उस वायरस के पी.पी.ई. किट खरीद लिये जाते है पुरे विश्व में उसका खरीदी हो जाता है और बाद में वो बीमारी लांच होता है जैसे फिल्म में लांच होता है वैसे लांच होता है। और अब निरंत बीमारी लांच होते रहेंगे और वेक्सिन आपको लगता रहेगा और आप हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और

Asalu

(42)

ज्यादा है तो डॉक्टर के पास बहुत सारे शब्द है, पुरा आपका सिस्टम ध्वस्त हो गया तो इस ध्वस्त होने के जो कारण है उसमें ये कारण भी है ये वातावरण, ये प्रदूषण। इस पृथ्वी में जहां–जहां प्रदूषण फैला है वहा जल जीव पृथ्वी में रहने वाले, आकाश में रहने वाले विलुप्त हो गये है, तो ये चला रहे है वैश्विक स्तर पर जो 8 अरब की आबादी को 50 करोड़ में 20–25 वर्षो में निकाल देंगे क्योंकि अब रोबोट काम करेगा उस समय पीठासीन अधिकारी का भी जो आने वाली पिढ़ी है, मेरी भी जो पिढ़ी है वो नहीं बचेंगे। उस चरखे में हमारे सारे रस निकल दिये जायेंगे और छिलका उस तरफ पार हो जायेगा। आप खुद सोच लीजिये आप सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। प्राकृतिक शक्तियां ही अब नियंत्रित करेगी या फिर सशस्त्र क्रांति। मैं इस जिले के, इस राज्य के और इस देश के लोगो से आहवान करता हूँ कि वो शस्त्र उठाये चाहे उनके हाथ लकड़ी है तो लकड़ी उठाये और प्रशासनिक जो आतंकवाद है और औद्योगिक आतंकवाद है उसका विरोध करें। इस जनसुनवाई का विरोध कर रहा हूँ। पीठासीन अधिकारी को तो मैं बोलते चला आया आप निरस्त कर दीजिये, नियम का पालन नहीं कर रहे है वो मौन हो जाते है, हमारा काम है कलेक्टर साहब बोल दिये है, हम आ गये है तो अब जो होना है अगर जिंदगी के लिये लड़ना है तो कानुन की भाषा में अपराध है तो अगली बार अपराध मैं करूंगा।

545. पितन कुमार, भैंसगढ़ी – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

546. भोजराम भठ्ठ – मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है। लोगों को जो सालासर कंपनी से जो सुविधा मिल रही थी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 02:45 बजे कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट श्री सुधीर सिंह, सालासर स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड की ओर से तथा पाईनियर इन्वायरो, हैदराबाद की ओर से इस जनसुनवाई में उपथित अपर कलेक्टर महोदय, क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल तथा उपस्थित अन्य अधिकारीगण और पुलिस प्रशासन, साथ ही जिन वक्ताओं ने यहा पर टीका, टीप्पणी, आपत्ति और सुझाव दिये है उन सभी के लिये मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हमारे द्वारा जो क्षमता विस्तार प्रस्तावित है उसके तहत में ये जनसुनवाई की जा रही है जिसमें जो मुद्दे उठाये गये है उनका बिन्दुवार मै। जवाब देना चाहता हूँ। इसी तारतम्य में मैं यह बताना चाहुंगा कि जो पाईनियर इन्वायरो लोबोरेट्रिज के वेलेडिटी के बारे में एक प्रश्न आया था सबसे पहले मैं उसी के बारे में बताना चाहुंगा, जिस समय हमने ई.आई.ए. प्रस्तुत किया था उस समय हमारी वैधता अप्रेल 2023 तक थी और बढ़कर सितम्बर 2025 तक है

43

वर्तमान में। आगे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में मैं बताना चाहुंगा हमारे द्वारा प्रस्तावित संयंत्र में स्पंज ऑयरन उत्पादन इकाई, पैलेट उत्पादन इकाई में ई.एस.पी. की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है इसके साथ ही जो प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस इकाई और फेरो एलायज उत्पादन इकाई में बैग फिल्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, जो उपकरण लगेंगे उसकी दक्षता जो पार्टिकुलेट मेटर निकलेंगे उसकी क्षमता 30 मिलीग्राम सामान्य घनमीटर के अनुरूप होगी। दूषित जल के उपचार के लिये हमारे द्वारा ई.टी.पी. की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है और औद्योगिक दूषित जल को ई.टी.पी. में उपचारित कर डस्ट सप्रेशन, ईट निर्माण और ऐश कंडशनिंग में परिसम में ही पुर्नउपयोग किया जायेगा, बाहर किसी भी प्रकार के दूषित जल का उत्सर्जन नहीं किया जायेगा साथ ही घरेलू दूषित जल जो निकलेगा उसका उपचार सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट में करके सिंचाई के उपयोग में किया जायेगा ये भी परिसर के अंदर ही किया जायेगा बाहर किसी भी प्रकार का निस्तारण नहीं किया जायेगा। वर्तमान में हमारे द्वारा जो संचालित इकाई है उसमें 273 लोगों का नियोजन किया गया है इसमें 252 व्यक्ति लोकल छत्तीसगढ़ से है, इसके अतिरिक्त प्रस्तावित इकाई में हमारे द्वारा 350 व्यक्तियों का नियोजन किया जाना प्रस्तावित है ये डायरेक्ट इम्प्लाईमेंट रहेगा और इनडायरेक्ट इम्प्लाईमेंट लगभग 500 व्यक्तियों का रहेगा, कुल 850 व्यक्तियों का नियोजन प्रस्तावित इकाई में किया जाना प्रस्तावित है। वन्य जीवों के बारे में बताया गया था कि हम लोगो ने अध्ययन नहीं किया है इसके बारे में मैं यह बताना चाहुंगा कि वाईल्ड लाईफ कंजरवेशन प्लान या हाथी प्रभावित क्षेत्र जो है उसके लिये अध्ययन किया गया है और इसमें हमारे द्वारा 10 अलग–अलग वर्षो में कुल 39,52,000 का राशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित था जो हमे रिकम्न्डेशन मिला है फारेस्ट डिपार्टमेंट से वो एकमुश्त राशि में जमा करने के लिये बोला है। रिकम्न्डेशन भी हमारा एप्रुव्ड हो गया है और जब हम फाईनल ई. आई.ए. सबमिट करेंगे उसमें हमारे पास रिकम्न्डेशन है। डी.एम.एफ. फंड इण्डस्ट्रीयल इकाई में लागू नहीं होता है। सी.एस.आर. कंपनी विथड्रा के अनुरूप किया जाता है और आगे भी किया जायेगा, इसके अतिरिक्त जो पर्यावरण नियमानुसार जो कार्पोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पासिबिलीटी है उसमें भी सामाजिक विकास कार्यो का निर्वहन किया जायेगा। ये जो नियम 45 दिन का है वो जनसुनवाई होकर परियोजना प्रस्तावक का प्रपोजल फाईनल ई.आई.ए. के लिये एम.ओ.ई.एफ. में चला जाये उसके लिये ये समय–सीमा निर्धारित की गई थी, ऐसी कोई बाध्यता ई.आई.ए. नोटिफिकेशन में नहीं है कि 45 दिन के अंदर ही करा कर वहा पर जाना है ये परियोजना प्रस्तावक के मदद के लिये ये लिमिट डिफाईन की गई है। हमारे द्वारा वर्तमान में एक तिहाई में ही वृक्षारोपण किया गया है और वर्तमान में लगभग 11,000 नग वृक्ष रोपित है, 425 जो फिगर दिया गया है ई.आई.ए. रिपोर्ट में वो नंबर जो ट्रांसलोकेशन जो वृक्षो को ट्रांसलोकशन करके दूसरे जगह विस्थापित करना है उन वृक्षों की संख्या के बारे में वर्णन है उसके 1 वृक्ष के अगेंस में हमारे द्वारा 5 वृक्षो का रोपण किया जायेगा। हमको पूर्व में ही 3.65 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष की अनुमति प्रदान की गई थी और हमारी विस्तार इकाई का जो रिक्वायरमेंट है वो उसी से लिया जायेगा हमें अतिरिक्त किसी भी प्रकार से वाटर रीसोर्सेस डिपार्टमेंट से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोपोसिट एवं इनवायरमेंटल सेंसिविटी चेप्टर 2 में हमारे द्वारा दी गई है। युवाओं का जो सुझाव था कि ओपन जीम और स्कील डेवलपमेंट के लिये हम लोग सी.एस.आर. मद और सी.ई.आर. मद से जो भी मदद हो सकती है किया जायेगा।

(५५)

सुनवाई के दौरान 37 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 07 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। लोक सुनवाई में लगभग 600 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 112 लोगों ने हस्ताक्षर किये। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई है। लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद! आज की लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की जाती है।

(अंकुर साहू)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(राजीव पाण्डेय)
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)